हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 दिसम्बर, 1986

खण्ड 3, अंक 7

अधिकृत विवरण'

विषय सूची

बुधवार, 3 दिसम्बर, 1986

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)23
वाक आउट/त्याग पत्र	(7) 26
श्री ओम प्रकाश महाजन द्वारा विभिन्न, विषयों का	(7)27

'उठाया जाना	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	(7) 31
किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य देने सम्बन्धी वक्तव्य–	
(1) कृषि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(7)32
(2) स्वस्थ्य मन्त्री द्वारा मलेरिया फैलने सम्बन्धी	(7) 37
नियम 64 के अधीन वक्तव्य –	
लोक निर्माण मन्त्री द्वारा सम्पूर्ण बाल विकास सेवाओं सम्बन्धी	(7) 39
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(7) 42
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(7)42
समिति की रिपोर्ट पेश करना ––	
पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की 24वीं रिपोर्ट	(7) 43
बिल्ज––	
(1) दी पंजाब आयुर्वैदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1986	(7)43

(2) दी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बिल, 1986	(7) 45
(3) दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (फोर्थ अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 1986	(7)47
(4) दी मैडीकल कालेज रोहतक (कंडीशन्ज औफ सर्विस औफ टीचर्ज) बिल, 1986	(7) 49
(5) दी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट.) बिल, 1986	(7)56
'तारांकित प्रश्न संख्या 1185 पर आधे घंटे की चर्चा –राज्य में कपास के उत्पादन सम्बन्धी ।	(7) 59
संकल्प–	
पंजाब में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या सम्बन्धी	(7)71
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
श्री ओम प्रकाश महाजन एम० एल० ए० के त्याग–पत्र की स्वीकृति सम्बन्धी –	(7) 71

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 3 दिसम्बर, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्चंज होंगे ।

Unemployed/Under employed persons in the State

***1186. Shri Jagdish Nehra:** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state—

(a) the total number of unemployed/under-employed persons at present in the State; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to provide employment opportunities to the unemployed youth in the State?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री राजेश कुमार) :

(क) राज्य में बेरोजगार/अपूर्ण रोजगार व्यक्तियों की संख्या के विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नही हैं तथापि राज्य में दिनांक 30–6–86 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 4,84,455 थी (ख) इस बारे ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जाता है । (अनुबन्ध)

अनुबन्ध

राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित पग

रोजगार विभाग हरियाणा ने वर्ष 1985 में 17,253 बेरोजगार प्रार्थियों को वैतनिक रोजगार पर लगवाया । वर्ष 1986 के पहले 6 महीनों में 7,910 अन्य प्रार्थियों को वैतनिक रोजगार दिलवाया जा चुका है ।

हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवकों, जिनमें अल्प तथा आशिक रोजगार पर संलिप्त व्यक्तियों सहित, को रोजगार प्रदान करने की विभिन्न विशेष रोजगार स्कीम्ज कार्यान्वित की हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण भ्मिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार/, अल्प रोजगार व्यक्तियों को चिरस्थाई समुदाय विकास कार्यों के निर्माण/मुरम्मत के फलस्वरूप प्राथमिक आधार पर तदर्थ रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है । वर्ष 198 5— 86 में रा० ग्रा० रो० कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.77 लाख मानवदिवस तथा ग्रा० भू ० रो० ग्रा० कार्यक्रम के अधीन 15.18 लाख मानवदिवस रोजगार अवसरों का निर्माण किया गया ।

सार्वजनिक क्षेत्र में सभी प्रार्थियों को वैतनिक रोजगार पुर लगाना संभव नहीं इसलिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षित कुशल/अर्ध कुशल बेरोजगार नवयुवकों को अपना

रोजगार में लगाने के लिये स्कीम चालू की गई है । वर्ष 1985–86 में 43491 प्रार्थियों को अपने काम धंधे की ईकाइयों में लगवाया गया ।

शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों जिनकी मासिक आय 600/– रुपये है, स्वः रोजगार देने के लिये एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम हरियाणा में भी चलाया जां रहा है । इस स्कीम के अन्तर्गत लघु स्वः रोजगार ईकाईया स्थापित करने के लिये अधिकतम 5000 रुपये (25 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान तथा 75 प्रतिशत ऋण के रूप में) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी । वर्ष 1986– 87 में हरियाणा में 5297 परिवारों को सहायता प्रदान की जायेगी ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने हरियाणा के अन्दर अन्डर एम्पलायमैंट और अनएम्पालायमैंट का सर्वे' करवाया है? अगर करवाया है तो उसका नतीजा क्या है, अगर नहीं करवाया तो उसके क्या कारण है ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इस प्रकार का कोई सर्वे करवाना मुमकिन नही है । बहुत से लोग रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज नही करवाते क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं है । बहुत से कैन्डीडेट्स नौकरी मिलने के वाद भी

अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाए रखते हैं वे सोचते हैं कि शायद उनको बैटर जौब मिल जाए ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब सारी स्टेट में 30– 6– 1986 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 4,84,455 थी । मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेकअप क्या है और 30–6– 86 तक एम्ग्लायमैट स्कीम के तहत कितने लोगों को रोजगार दिया गया है?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, 30– 6– 1986 तक की डिस्ट्रिक्टवाइज ब्रेकअप इस प्रकार है । अम्बाला रोजगार कार्यालय में 74636 करनाल में 34540, कुरुक्षेत्र में 55418, रोहतक मे 48733, सोनीपत में 31860, जींद में 30731, भिवानी मे 36790, गुडगावा में 38934, महेन्द्रगढ में 32789, हिसार में 4770 और सिरसा में 16685 नाम दर्ज थे । इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि कितने लोगो को नौकरी पर लगाया गया है? स्पीकर साहब, जून, 1986 तक 16234 व्यक्तियो को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी मिली है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि सारी स्टेट मैं एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज में 484455 व्यक्तियो के नाम दर्ज हैं । मै आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इनमें

मे कितने मैट्रीकुलेट हैं, कितने ग्रेजुएटस हैं, कितने स्कील्ड हैं और कितने अनस्कील्ड हैं ।

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब 30– 6– 1986 की रिपोर्ट के मुताबिक 119837 मैट्रीकुलेट, 16160 अबव मैट्रिक बिलो – ग्रेजुएऊट, ओवरसियर्ज 3345, ग्रेजुएट्स 19916, हिन्दी हायर सैकेण्डरी स्कूल टीचर्ज 12523, जे० बी०टी० और जे० बी० टी० आर्ट एंड क्रापटस 12889 और लैगवेजं टीचर्ज की कैटेगरी के 1738 कैन्डीडेट्स हैं । बाकी दूसरी कैटेगरीज के व्यक्ति हैं ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी मे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी तजवीज है कि जो इंडस्ट्रियल हाउसिज बने हुए है, उनको ऐसी हिदायत जारी की जाएगी कि उसी एरिया के लोगों को एम्पलायमैंट दी जाये ताकि उस एरिया में अनएम्पलायमैंट कम हो?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इस तरह की हिदायतें तो पहले से ही जारी कर रखी हैं लेकिन फैक्टरी के काम–काज के मुताबिक चूंकि उन्हें कैन्डीडेट्स नहीं मिलते हैं इसलिए उनको बाहर से लगाने पउरसे हैं ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मच्छी जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि विजली की कमी की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज में हजारों की संख्या में वर्कर्ज दो दो, तीन तीन और चार चार महीने तक

अनएम्पलायड रहते है? उस दौरान फैक्टरीज के मालिक भी उनका कुछ नही देते हैं क्योंकि वे कैजुअल या टैम्पोरेरी होते है और इनमें अन्डर एम्पलायमैंट वर्कर्ज भी शामिल हैं । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो अन्डर एम्पलायज वर्कर्ज हैं उनको पूरी एम्पलायमैंट देने का इरादा रखती है ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, बेरोजगार लोगो की जो संख्या बताई है उसमे उन लोगों के नाम भी शामिल है जो कैजूअल सर्विस करते है । उनकों थोड़े दिन के लिए सर्विस मिलती है । ऐसे व्यक्तियों के लिये सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से कई तरह की स्कीमों में सैल्फ– ऐम्पलायमैंट की ट्रेनिंग देती है । जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट है, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट है और भी कई डिपार्टमैट्स हैं जिनके अन्दर कम दरों पर लोगों को सैल्फ ऐम्पलायमैंट की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ भत्ता भी दिया जाता है । लोग वहां पर अपना काम सीख करके अपना ही कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों को चूंकि रोजगार कार्यालयों के बारे में जानकारी नहीं है इसलिये वे अपना नाम वहां दर्ज नहीं करवाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाए जिससे लोग रोजगार कार्यालय के बारे में जान पाएं और वहां पर अपना नाम दर्ज करवा सके । कोई इस प्रकार की सुविधा उनको दी जाए

जिससे वे अपना नाम वहां पर दर्ज करवा सकें । एक बात यह भी है कि ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से नाम भी निकल जाते हैं लेकिन कुछ प्रत्याशियो के नाम जो चिट्ठी आती है वह बहुत देर से उनको मिल पाती है । उनको इन्ट्रव्यू के टाईम पर चिट्ठी नहीं मिलती है इसलिये भी देहात के गरीब उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह जाते हैं । जिनकी सांठगांठ होती है वे अपना नाम निकलवा लेते हैं और नौकरी पर लग जाते हैं । मेरे पास ऐसी कुछ मिसालें भी हैं जो मैं मन्त्री जी को अलग से दे दूंगा । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट, पी० एच० डी० और दूसरी हाई क्वालिफिकेशन कें व्यक्ति हैं, वे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं इसलिये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष. महोदय, जहां तक देहात में लोगों को रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज करवाने की जानकारी का सवाल है इनकी यह बात ठीक है कि देहात में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है । लोगों में इस बात का फतूर है कि इसमें नाम दर्ज करवाने से कोई फायदा नहीं है । अब ग्रामीण स्तर पर 90 ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज हैं लेकिन फिर भी जो बेरोजगार लोग हैं, उनको इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है । गांवों में जा जाकर भी ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज वाले बेरोजगार लोगों का नाम दर्ज करते हूं और इस बात का प्रचार भी करते हैं

कि आप अपना दं नाम दर्ज करवाए आपको नौकरी दिलवाएंगे लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में यह फतूर है कि इससे कोई फायदा नहीं है । जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुछ लोग अपनी सांठगांठ से रोजगार कार्यालय से अपना नाम निकलवा लेते हैं, इस बारे में इस तरह की कोई बात हमारे ध्यान में नही आई । यदि किसी जगह से कोई कम्पलेंट होती है तो उस पर फौरन ऐक्शन लिया जाता है । इसके अलावा माननीय सदस्य ने बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देने की बात कही है । उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस बात को मंजूर नहीं करती कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । जिन लोगो को कोई रोजगार नही मिलता वे केवल सरकारी नौकरी की इन्तजार में बैठे रहते हैं प्राइवेट नौकरी में नहीं जाते शै । जो बेरोजगार लोग अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहते है, सरकार उनको अपना काम शुरू करने के लिए 35 हजार रुपए तक लोन देने की सुविधा देती है ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, सरकार बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है । सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीमें चला रखी हैं जिनके अन्दर बेरोजगार लोग ट्रेनिंग ले कर. अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं । लेकिन जो बेरोजगार लोग ट्रेनिंग ले कर अपना कोई काम धंधा शुरू करते है उनको उसका पूरा कायदा रही मिल पा रहा है क्योंकि यदि वे कोई चीज की प्रोडक्शन करना चाहते हैं

तो न उनको रा–मैटीरियल मिलता है और न उनके मात्र को उठाने की कोई गारन्टी है । इस तरह से उनको पूरा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इस चीज को ध्यान में रखते हुए, कि लोगो को इस तरह की ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । क्या सरकार इन तरफ ध्यान देगी और इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कदम उठाएगी ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि सरकार के विभिन्न विभागों में सैल्फ ऐम्पलायमैट के लिये ट्रेनिंग देने की स्कीम शुरू की हुई है । यदि आप कहें तो मैं वह लिस्ट पढ़ कर सुना देता हूं । यह बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट पढ्ने की कोई आवश्यकता नही, है क्योंकि यह ज्यादा टाईम लेगी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम बेरोजगार व्यक्तियो को ट्रेनिंग देते है, उनको नो–हाऊ प्रोवाइड करते हैं और रा–मैटीरियल भी प्रोवाड्ड करते है, । हम उनको सारी फैसिलिटीज देने की पूरी कोशिश करते हैं । जो भी प्रोडक्ट बनाते है उसको बेचने के लिये वन बिन्डो सर्विस भी शुरू की हुई है ताकि उनको माल बेचने में कोई कठिनाई न आए । दुर्भाग्य की बात है कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते और उनके दिमाग में यह वहम है कि यह काम हम नही कर सकेंगे । अगर उनको किसी काम को करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और यह कहा जाता है कि आप

यह काम शुरू करें तो उसके घर वाले उसकी लैगपुलिंग करते है कि इसको कोई काम ऑता जाता तो है नहीं इसलिये यह काम कैसे कर पाएगा । इस तरह का वहम उनके दिमाग में है । अगर किसी व्यक्ति ने किसी काम को करने की ट्रेनिंग ली हुई है तो कोई वजह नही है कि वह उस काम को न कर सके ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, जिन लोगो के नाम रोजगार कार्यालयो में दर्ज होते हैं उन्हें एक साल बाद रिन्यू किया जाता है । इयरली रिन्यू होने की वजह से काफी लोगों के नाम कट जाते हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एक साल की बजाये तीन मात्र की अवधि रिन्यू की करने की सोचेगें? एक साल बाद जब उनका नाम रिन्यू न होने की वजह से कट जाता है तो उनकी सीनियोरिटी भी खत्म हो जाती है और जो लोग बाद में नाम दर्ज करवाते हैं उनकी पहले सीनियोरिटी कायम हो जाती है । दूसरा मेरा सवाल यह है कि कई बार किसी पोस्ट की सिनियोरिटी दूसरी तरह से खत्म कर दी जाती है । मिसाल के तौर पर आप चौकीदार कम माली की पोस्ट को ले लें । उदाहरण के तौर पर यदि किसी वकील के पास कोई चौकीदार का काम करता शै और रोजगार विभाग से चौकीदार कम माली की पोस्ट के लिये काल आती है तो वह आदमी वकील महोदय से माली का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि मैंने इतने दिनों तक यहां पर माली के रूप मे भी काम किया है । ऐसा सर्टिफिकेट रोजगाररू विभाग को देने पर उसका नाम निकल जाता है और

जो दूसरे लोग जिनकी सीनि– योरिटी बनती थी, वह खत्म हो जाती है । क्या मन्त्री जी हम तरह की कोई हिदायतें जारी करेंगे कि इस तरह के सर्टिफिकेट जो रोजगार विभाग को दिए जाएं उनका कोई महत्व न समझा जाये ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, जहां ' तक ईयरली रजिस्ट्रेशन का सवाल है वह तो इसलिए करते है कि हमें पता लगता रहे कि हर साल कितने आदमियों के नाम बेरोजगारी के लिये दर्ज हैं । यंदि यह रिव्यू की तारीख तीन साल की कर देंगे तो जो फिगर्ज एक साल की मैंने 48 लाख के करीब बताएं है फिर यह 68 लाख की भी हो सकती है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कुछ व्यक्ति अपना नाम नौकरी मिलने के बाद भी रोजगार विभाग से कटवाते नहीं हैं । इसलिये यह ईयरली रिन्यू की अवधि रखी हुई है । वैसे फिर भी विभागीय तौर पर इस बारे में विचार कर लेंगे । जहां तक इन्होंने कहा कि किसी वकील से सर्टिफिकेट माली कम चौकीदार का लेकर नाम निकलवा लिया जाता है, ऐसी बात हमारे नोटिस में तो आई नहीं है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्दी जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कई केसिज में ऐसा होता है कि उसी दिन किसी का नाम दर्ज हो जाता है और फिर उसी दिन उसका नाम किसी काल के लिए निकल भी जाता है । जो होशियार लोग होते है वे किसी न किसी तरीके से ऐसा करवा लेते हैं कि पहले के जिन के नाम दर्ज हैं उनकी काल न निकले ।

क्या मन्त्री जी इस तरह की जांच वगैरा का कोई प्रबन्ध करेंगे ताकि इस तरह की कोई गड़बड़ आदि भविष्य में न होने पाये

श्री राजेश कुमार : ऐसा कोई केस हमारे नोटिस में नहीं आया कि उसी दिन नाम दर्ज हुआ हो और उसी दिन निकल जाता हो । मैं यह तो मान सकता हूं कि. जिन लोगों के नाम दर्ज होते हैं उन्हीं में से हेरा फेरी करके किसी' का नाम पहले निकाल दिया जाता हो । इस काम की चौकिंग के लिए हमारा एक विजिलैन्स सैल बना हुआ है । 'वह इस तरह की चौकिंग समय समय पर बगैर रोजगार कार्यालयो को बताये करत रहता है । दूसरे रुटीन में भी चौकिंग होती रहती है ।

चौधरी चन्दा सिंह : स्पीकर साहब, तकनीकी संस्थाओं से ऐप्रैन्टीस की ट्रेनिंग लेने के बाद लोग घरों में बैठ जाते हैं । उनको सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी नही मिल पाती क्योंकि उन नौकरियों पर दूसरे लोगों को ले लि या जाता है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ऐप्रैन्टीस की ट्रे निंग ली हु ई हुँ, उनको पक्की नौकरी सरकारी या दूसरी फैक्टरियों में जल्दी से जल्दी मल पाये ऐसा कोई प्रबन्ध करने पर ये विचार करेंगे? एक बात इन्होंने यह कही कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको भत्ता देना सं भव नहीं है । गुडगांव से एकदम जब राजस्व लगान समाप्त होने की घोषणा हमने सु नी तो हम सब हैरान रह गए । जब ऐसी घोषणा हो सकती है जो सं भव नहीं थी तो फिर ऐसे लोगों को जनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हों उनको

बेरोजगारी भत्ता दे ना सं भव क्यों नहीं? हमारा प्रदेश तो वैसे भी सारे देश में नम्बर एक पर है । फिर इन्होंने कहा था कि यह बताना सं भव नहीं कि कत ने बेरोजगार लोग सारी स्टेट में हैं । भारत सरका र के पास भी सारे आकडे होते हैं । जब भारत सरकार के पास सारे आकड़े हो सकते है तो अपनी स्टेट के पास ये आकड़े क्यों नही उपलब्ध हो सकते कि टोटल बेरोजगार लोग हमारी स्टेट में कितने हें?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, जहां तक ऐप्रैन्टीस लोगों का सवाल है मेरे साथी खुद टैक्नीकल ऐजुकेशन विभाग के मन्त्री रहे थे । इन्हें खुद ज्यादा मालूम होना चाहिए । कोई भी फैक्टरी वाला जब कैन्डीडेट मांगता है ते वह साथ ऐक्सपीरिएंस भी मांगता है क्योंकि उसे अपनी फैक्टरी च लानी होती है । हम किसी फैक्टरी को कैन्डीजेटस को ट्रेनिंग दिलाने के लिये तो बाध्य कर सकते हैं कि यह परीक्षा पास करके आया है इसे ट्रेनिंग दे मगर इस चीज के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम इसे नौकरी में भी रखो । इन्टरनैशनल ला के तहत हायर एण्ड फायर '' की पावर्ज एक साथ ऐम्पलायर कों नहीं दी जाए । यदि उसके पास हायर की पावर है तो फायर करने की पावर नहीं होती । यदि वह नौकरी पर अपनी मर्जी से रख सकता है तो अपनी मर्जी से हटा नही सकता क्योंकि मजदूर को लेबर कोर्ट आदि से प्रोटैक्शन मिलती है । अगर उसे अपनी मर्जी से कसी को रखने की इजाजत नहीं है और वह हमारे कहने से किसी को रखेगा तो

उसके यह राइट देना पड़ेगा कि वह अपनी मर्जी से जब चाहे उसे हटा दे । फिर भी ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जाती है कि जनं लोगों ने ऐप्रैन्टीस की है या दूसरी ट्रेनिंग ली है उन्हें कामकाज दिया जाये। उनकी सहायता के लए जहां तक भत्ता देने का सवा न है, यह एक किस्म का भत्ता ही है कि हम अपने खर्चे पर पहले उसे ट्रेनिग देकर और फिर कर्जा दे कर उसका काम शुरू करवाते हैं । मैं समझता हू किं मेरे साथी इसमें संतुष्ट रहेंगे ।

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, हमारा अम्बाला जिला अच्छे कामों में नम्बर एक पर है लेकिन बेरोजगारी के मामले में भी सबसे आगे है । पहले अम्बाला जिले के अन्दर रोपड़, चण्डीगढ़ का एरिया भी शामिल था । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्—थी महोदय अम्बाला जिले मे बेरोजगारी— को पू र करने की तरफ विशेष ध्यान देंगें?

श्री राजेश कुमार : ऐसी बात नहीं है कि अम्बाला जिला रोजगार के मामले में या दूसरे मामलों में पीछे है । नैशनल लेवल पर हमारी स्टेट बेरोजगारी दूर करने के मामलों में नम्बर 2 पर है । बेरोजगारी के बढ़ने के तीन— चार कारण हैं । तक तो शिक्षा का प्रचार आज के दिन पहने की अपेक्षा बहुत वढ गया है । दूसरा कारण स्टेट की और देश की पापुलेशन पहले ने काफी कब चुकी है । तीसरा कारण यह है कि दो साल से सरकारी नौकरियों पर

बैन लगा हुआ है जिस की वजह मे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में अन–ऐम्पलायमैंट को खत्म करने के नए क्या–क्या जौब अपर्चनिटीज क्रिएट की गई हैं? क्या मन्त्री महोदय इस बारे में 1983– 84 से लेकर 1986 तक की फिगर्ज बताएगे ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, ये चाहते हैं कि मैं इस लम्बी लिस्ट को पढ कर सुनाऊं लेकिन आप कहेंगे कि सदन का सारा समय लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप खास–खास बातें बता दीजिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल रोजगार कार्यालयो के माध्यम से 17,253 व्यक्तियो को रोजगार मिला था । 1986 में जबने 6 महीनों में लगभग 8 हजार लोगों को वैतनिक रोजगार दिलाया जा चुका है । इसके अलावा एन ० आर० ई ० पी ० और आर ० एल० ई० जी ० पी ० के तहत 14. 77 और 15.18 लाख मैन–डेज जैनरेट किए गए । इसके अतिरिक्त 43,491 प्रार्थियों को अपना काम धन्धा शुरू करने के लिए कर्जा दिया गया ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, ऐसे बहुत से अनऐम्पलायड व्यक्ति है जिनके नाम 6 साल से भी ज्यादा अर्से से

एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिंज में दर्ज है लेकिन उन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि क्या वजह है जिसके कारण उनको आज तक रोजगार नहीं मिल राका जबकि ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं कि जिस दिन ..... नाम दर्ज हुआ उसी दिन उनको रोजगार मिल गया ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इतने साल तक लोगों को रोजगार न मिलने का स्पष्ट कारण यह है कि हमारे देश में उद्योग धंधे इतनी तेजी से नही बढ पा रहे है जितनी तेजी से हमने पापुलेशन बढ़ाई है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आज ही नाम दर्ज कराया और आज ही रोजगार मिल गया, इस तरह के कोई स्पैसिफिक केसिज माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लाएंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन्टरनैशनल ला के तहत एम्पलायर को हायर और फायर की इकट्ठी पावर्ज नही दी जा सकती लेकिन हरियाणा के अन्दर जो फैक्टरीज लगी हुई हैं, चाहे वे पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्ज हैं या प्राईवेट फैक्टरीज हैं, उनमें स्टेट के बाहर के लोग लगे हुए हैं । मैं तो मारुति का भी यहां मैन्शन करूंगा । क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि जो भी हमारी स्टेट में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या लगें उनमें यदि हरियाणा के क्वालिफाडड लड़के अवेलेबल हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इनकी बात दुरुस्त है कि चाहे मारुति है या अन्य कोई फैक्टरी है जैसे एन० एफ० एल० पानीपत, उसमें काफी लोग स्टेट से बाहर के लगे हुए हैं लेकिन इसके बारे में निवेदन यह हैं कि कोशिश यह की जाती है कि अन– स्किल्ड लेबरर्ज तो उसी इलाके के, लगें जिसमें वह फैक्टरी लगी हुई है । जिन परिवारों की जमीन फैक्टरी लगाने के लिए ऐक्वायर की जाती है उन परिवारों के एक–एक सदस्य को नौकरी दी जाती है । (विघ्न) अगर स्किल्ड लोग भी अवेलेबल हो तो वे भी लगाने पड़ते हैं लेकिन जो टैक्निकल आदमी यहां अवेलेबल न हों उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता । उन्हें वे चाहे मद्रास से लेकर आएं या कहीं और से लेकर आएं, यह उनकी मर्जी है ।

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब, अखबारों में खबर निकली है कि चीफ मिनिस्टर साहब ड्यू कोर्स में मिनिस्ट्री ऐक्सपैन्ड करने जा रहे हैं । क्या हम भी अपना नाम ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज में दर्ज करा ले? (हंसी)

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो श्री राजेश जी को कहना पड़ेगा कि वे एक स्पैशल ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज बनाएं । (हंसी)

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान का संविधान अगर परमिशन देगा तो जरूर ऐसी ऐम्लायमेंट ऐक्सचेंज खोल दी जाएगी । (हंसी)

Filling of posts of teachers in primary schools

***1219. Chaudhri Lila Krishan :** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there arc any primary Schools in the State where posts of teachers are lying vacant at present; and

(b) if so, thc time by which these are likely to be filled up ?

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) :

(a) Yes.

(b) Efforts ate being made to filI the vacant posts at the earliest.

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर सर, प्राईमरी स्कूल का एक बेसिक मसला है । गरीब लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं लेकिन इन स्कूलों में मास्टर ही नही होते । 'अमीर लोग अपने बच्चों को कौनवैन्ट और मौडल स्कूलों में भेजते हैं जहां उन्हें इस तरह की दिक्कतों का सामना नही करना पड़ता । मैंने इनमे पुछा था कि ये पोस्टें कब तक भरी जाएंगी । इन्होंने एट दी अरलियस्ट कह कर बात खत्म कर दी । अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे डैफिनिट टाईम पूछना चाहता हूं कि कब तक ये पोस्टम किन का हो जाएगी ?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, ये पोस्टस बहुत ज्यादा समय से खाली नहीहै । 558 पोस्टस इसी माल सितम्बर

महीने मे नई क्रिएट की गई है । इसके अलावा 100 प्राईमरी स्कूल लड़कियों के खोले है । कुल 355 पोस्ट्स खाली है । कुछ जिलो मैं हमारे पास जे० बी० टी ० टीचर्ज अवेलेबल नहीं है उन्हें हमने दूसरे जिलों से उपलब्ध करने की कोशिश की है । उम्मीद है कि दिसम्बर महीने में मारी पोस्ट्म फिल अप कर दी जाएगीं ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, लेबर मिनिस्टर साहब ने अभी जो आकड़े यहा दिए उनसे यह पता लगा है कि जे० बी० टी० टीचर्ज तो कम हैं, तेकिन बी ० एड० टीचर्ज की उतनी कमी नहीं है । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जे० बी ० टी ० टीचर्ज की जगह बी ० एड० टीचर्ज लगा दिए जारा ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान न हो ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री राजेश कुमार) : जैसे जैसे फाईनैंसिज इजाजत देंगे उसी हिसाब से लगाए जाएंगे ।

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर महीना देख लेते है अगर जे० बी० टी० टीचर्ज नहीं मिले तो इसके लिए फिर कुछ करेंगे ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि ये जो टीचर्ज लगाए जाएंगे ये नई रिक्रूटमैंट से लगेने या सरप्लस टीचर्ज में से लगेगें ?

श्रीमती शारदा रानी : ये जो पोस्टें खाली हुँ, ये नई रिक्रूटमैंट के लिए खाली है ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि 558 पोस्ट्स नई बढ़ाई गई हैं और 100 लड़कियों के नए स्कूल खोले गए हैं तथा इस वक्त 355 पोस्ट्स खाली पड़ी हैं । जहां तक मैं समझता हूं इनमें से ज्यादातर पोस्ट्स गुड़गांव और सिरसा डिस्ट्रिक्ट की होगा । फिर स्पीकर साहब, आगे चल कर इन्हें 1400 टीचर्ज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि 1400 टीचर्ज रिटायर होंगे । इन सारी बातो को मद्देनजर रखते हुए क्या मन्त्री महोदया कोई नया जे ० बी ० टी ० ट्रेनिंग स्कूल खोलने पर विचार करेगी

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात पर विचार कर रहे है कि एक नया जे ० बी ० टी ० ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जे ० बी ० टी ० टीचर्ज की शार्टेज की जो फिगर्ज दी गई है, वे गवर्नमेंट का जो काइ– टेरिया है कि 25 स्टुडैन्टस के पीछे एक टीचररू लगाएंगे, उस हिसाब से दी गई है या प्राईमरी स्कूल के क्राइटेरिया के हिसाब से दी गई हैं?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, 25 स्टुडैन्टस के पीछे नही बल्कि 45 स्टुडैन्टस के पीछे राक टीचर लगाने का क्राइटेरिया है और उसी हिसाब से टीचर्ज लगाए जाते है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, शिक्षा मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि प्राईमरी स्कूल्ज मे 355 जे० बी० टी ० टीचर्ज की कमी है लेकिन मैं इनके नोटिस मे लाना चाहता हू कि स्टेट में ब्रांच स्कूल्ज मैं बहुत सारे टीचर्ज की कमी है । आज हरियाणा मे बहुत सारे दाच स्कूल्ज टीचर्ज के बगैर चल रहे है । क्या मच्छी महोदया बताएंगी कि ऐसे टीचर्ज की कितनी कमी है और हमे कब तक पूरा किया जाएगा

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, ये जो फिगर्ज हैं इनमे ब्रांच स्कूल्ज भी शामिल है ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि हरियाणा में सिगल टीचर स्कूल कितने हैं ?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब इनके लिये सैंपरेट नोटिस चाहिए क्योंकि ये फिगर्ज अलग से इकट्ठी करनी पड़ेगी ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : क्या मन्त्री जी बताएंगी कि प्राईमरी स्कूल्ज के महत्व को देखते हुए प्राईमरी स्कूल्ज डारैक्टोरेट अलग से बनाने का विचार है क्योंकि प्राईमरी स्कूल्ज ही आगे की शिक्षा का आधार होते हैं ?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, हमने डारैक्टोरेट में ही ज्वांयट डाक्टर की अलग से पोस्ट बना दी है जो प्राईमरी ऐजुकेशन को ही देखेंगे ।

Unemployment in the State

***1225. Shri Brij Mohan :** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) whether it is a fact that unemployment is on the increase in the State;

(b) the total number of unemployed doctors, engineers and graduates registered with the Employment Exchanges in the State as on 31-10-1986; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to tackle the unemployment problem of educated/uneducated persons in the State?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री राजेश कुमार) :

(क) राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या दिनांक 30—6—85 को 4,68,616 थी जोकि दिनांक 30—6— 86 को बढ़कर 4,84,455 हो गई थी ।

(ख) दिनांक 30— 6—86 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल डाक्टरों, इन्जीनियरो तथा स्नातकों की संख्या निम्न प्रकार से थी :—

डाक्टर	805
इन्जीनियर	261
स्नातक	17623

(ग) सदन के पटल पर इस बारे ब्यौरा अनुबन्ध –1 पर रखा जाता है

अनुबन्ध –1

शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों की समस्या सुलझाने के लिये राज्य में उठाये गये/प्रस्तावित पग ।

रोजगार विभाग ने वर्ष 1985 में 17253 बेरोजगार प्रार्थियो को वैतनिक रोजगार पर लगवाया । वर्ष 1986 के पूर्व 6 मास में 7910 अतिरिक्त प्रार्थियों का भी वैतनिक रोजगार मिला ।

हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवको जिनमे अल्प तथा आशिक रोजगार पर संलिप्त व्यक्तियों सहित को रोजगार प्रदान करने की विभिन्न विशेष रोजगार स्कीम्ज कार्यान्वित की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों के लिये रोजगार गारन्टी कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मे बेरोजगार/अल्प रोजगार व्यक्तियों को चिरस्थाई समुदाय विकास कार्यो के निर्माण/मुरम्मत के फलस्वरूप प्राथमिक आधार पर तदर्थ रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है । वर्ष 1985–86 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.77 लाख मानव दिवस

तथा ग्रा० भू० रो० ग्रा० कार्यक्रम के अधीन 15.18 नसख मानव दिवस रोजगार अवसरों का निर्माण किया गया ।

सार्वजनिक क्षेत्र मे सभी प्रार्थियो को वैतनिक रोजगार पर लगाना सम्भव नहीं इसलिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षित कुशल,अर्धकुशल बेरोजगार नवयुवकों को अपने रोजगार में लगाने के लिये स्कीम चालू की गई है । वर्ष 1985–86 में 43,491 प्रार्थियों को अपने काम–धन्धे की इकार्डओं में लगवाया गया ।

शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों जिनकी मासिक आय 600 रु० है स्वयं रोजगार लेने के लिये एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम हरियाणा मैं भी चलाया जा रहा है । इस स्कीम के अन्तर्गत लघु स्वयं रोजगार इकाईया स्थापित करने के लिये अधिकतम 5,000 रु० (25 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान तथा 75 प्रतिशत ऋण के रूप में) की वितीय सहायता प्रदान की जाएगी । वर्ष 1986–87 में हरियाणा में 5,297 परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी ।

10.00 बजे ।

श्री बृज मोहन : स्पीकर साहब, हमारे सूबे मे बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जीन्द जिले में तो और भी ज्यादा बेरोजगारी है । क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई क्राइटेरिया अपनायेगे कि सभी नौकरियो में रिक्रूटमैंट ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज के थ्रू की जाये ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, जब मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे इसलिए इन्हें जानकारी नहीं मिली । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले 3. 4 परसैन्ट बड़ी है । इतनी बेरोजगारी क्यों है, इस बारे में मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हू । पापुलेशन का बढ़ना, पढ़े–लिखे लोगों की संख्या बढ़ना स्कूलों और कालेजों की तादाद बढ़ना और लोगों मे जागृति आने की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है । मेरे पास आकड़े हैं, वे भी मैं हाउस को बताना चाहूंगा । ऐम्पलाएमेंट ऐक्यचेंजिज में उन लोगों के नाम भी दर्ज है जो आलरेडी नौकरी में लगे हुए हैं । इन लोगों की तादाद 27 परसैन्ट है । 15 परसैन्ट वे लोग हैं जो बिलो मैट्रिक हैं लेकिन ये बिलो मैट्रिक चार–चार, पांच–पांच ऐम्पलाएमेट एक्सचेंजिज में नाम दर्ज करा देते हैं क्योंकि इनके सर्टिफिकेट पर मोहर आदि नहीं लगती है और जो मैट्रिक पास होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स पर मोहर लगा देते है इसलिए ये जो हाउस को फिगर्ज दी है इतनी ज्यादा रीलाएबल नहीं हैं । 27 परसैन्ट जनरल कैटेगरी के नाम दर्ज हैं और सात परसैन्ट उन लड़कों ने नाम दर्ज करवाये हुए हैं जो कालेजिज में पढ़ रहे हैं । इसलिए ये जो न, 84,455 की फिगर्ज दी है, हो सकता है ये कम हो । सिंगला साहब ने कहा कि जीन्द में ज्यादा बेरोज– गारी है, बेरोजगारी की समस्या तो सभी जिलों में है । किसी कम्पनी में नौकर रखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है । अगर किसी कम्पनी में दस से कम

आदमी लगे हुए हों तो हम उन्हें बाध्य नही कर सकते कि आप ऐम्पलाएमेट ऐक्सचेंज के थ्रू रखें । अगर दस से ज्यादा लगे है तो उन्हें ऐम्पलाएमेंट ऐक्सचेंज से कैडीडेट्स मंगाने पड़ते है । उनके माप–दण्ड के अनुसार यदि वे पूरे उतरते हैं तो वे उन्हें सिलैक्ट कर लेते है और पूरे नही उतरते हैं तो सिलैक्ट नही करते है ।

श्री बृज मोहन : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि हिसार जिले के पिछले चार पांच सालों में कितने लोग लगे है और जीन्द जिले के किनने लोग लगे है ?

श्री राजेश कुमार : इस तरह का कोई क्राइटेरिया नही रखा हुआ है कि हिसार, जीन्द और यमुनानगर के कितने कितने लोग लगे हैं । ऐम्पलाएमेट ऐक्सचेंजिज से स्टेट लैवल पर लिस्ट बना कर भेज देते हैं । अब लेने वालों ने देखना है कि किस को लेना है, काम तो उन लोगों ने लेना है।

चौधरी सूबे सिंह पुनिया : जैसा कि सिंगला साहब ने कहा है, मैं उनकी भावना कों विस्तार से बताना चाहूंगा । पिछले दिनों जीन्द जिले मैं साईस मास्टर्ज और मैथ मास्टर्ज का इन्टरव्यू हुआ था । देखने में यह आया कि उस इन्टरव्यू में बाहर के लोग ज्यादा लिए गये और हमारी स्टेट के कम लिए गये । उसका कारण यह है कि हमारे राज्य मे शिक्षा का स्तर ऊंचा है औंर पड़ोसी राज्यों मे शिक्षा का स्तर कम है । हमारे यहां के बच्चे

फेल हो जाते हैं वे वहा से अच्छे नम्बर ले कर पास हो कर आते हैं । इसी तरह से दूसरी स्टेट के बच्चे अच्छे अंक ले कर यहां आ जाते है और यहा का डोमीसाइल बनवा लेते है । यहां का डोमीसाइल बनने पर उनको यहां पर नौकरी मिल जाती है और आर अपने बच्चे नौकरी से महरूम रह जाते हैं । क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव हैं कि जो बच्चे हरियाणा विश्व विद्यालयों से उत्तीर्ण हों उन्हें यहां नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय संविधान मे भारतवर्ष को एक इकाई माना है । स्पीकर साहब, अगर इनके जिले के आदमी को कोऐम्बटूर में नौकरी मिल जाये तो वहां नौकरी कर सकता है । लिखित रूप में यह आदेश' करना कि बाहर के कैण्डीडेट्स न लिए जायें, यह ठीक नहीं है । लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमें अपने लडकों को प्राथमिकता देनी चाहिए । दूसरे यदि वे माप–दण्ड में पूरे उतरेंगे तो जरूर लिया जायेगा ।

श्री लछमन दाम अरोड़ा : स्पीकर साहब, जो कैन्डीडेट्स चार छः महीने में ओवरएज होने वाले हैं, क्या उनके नाम निकालने मे प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राजेश कुमार : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिनिस्टर साहब ने हाउस में कहा है कि ये फिगर्ज रिलाएबल नहीं है । हाउस मे जब मिनिस्टर कोई स्टेटमैंट

देता है तो this is considered to be true and it should be genuine. मैं आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि अन, ये किगर्ज रिलाएबल और जैनुअन नहीं हैं तो क्या ये हाउस को मिस–लीड नहीं कर रहे ? would request the Hon'ble Minister kindly to give the correct figures and these should be genuine.

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब ने पोजीशन बतायी है कि कई लोगों ने चार चार जगहो पर नाम दर्ज कराये हुए हैं इसलिए ये फिगर्ज चार लाख में कम भी हो सकती है । इसमें डिसप्यूट वाली कोई बात नही है और न मिनिम्टर साहब की गलत इन्फर्मेशन देंनें की इनटैन्शन है ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : स्पीकर साहब, हरियाणा में पढे–लिखे लोगों में बेरोजगारी के कारण बडी रिजैन्टमैंट है इसलिए मैं उस ओर सरकार का ध्यान आकार्षित करना चाहता हुं । मंत्री जी ने सप्लीमेंटरी का उत्तर देने हुए कहा कि संविधान के अनुसार चूकि हम सारे भारत को एक इकाई मानते हैं इसलिए दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी मे लेने के लिए पाबन्दी नहीं लगा सकते । लेकिन जो हरियाणा के पढ़े–लिखे लोग हैं, उन्हें प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए । उन्हें प्राथमिकता देने का एक ही तरीका है कि जो पड़ौसी राज्य के लोग यहां का डोमीसाइल बनवाते हैं उसकी विशेष चौकिंग होनी चाहिए । हिमाचल प्रदेश में किसी का कोई डोमीसाइल नही बनता । यहां पर चौकिंग होगी तो हमारे' लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी । इसलिए मैं

मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या नौकरियों मे हरियाणा के लोगो को प्राथमिकता देने के लिए डोमीसाइल की चौकिंग करेंगे?

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब ने बताया है कि लिखित में आर्डर नही कर सकते कि फलां स्टेट का आदमी नहीं लिया जा सकता ।

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब मैंनें अभी अर्ज की थी कि कोई लिखित रूप में आदेश जारी नही कर सकते । लेकिन फिर भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे प्रदेश के कैम्हीडेट्स लिए जाये। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे कैडीडेट्स स्पौन्सर्ड हुए है उनका हुक मार कर कोई दूसरा नौकरी न ले सके ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 805 डाक्टर्ज के नाम दर्ज हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हू कि ये डाक्टर्ज किस किस तरह के है इ' दूसरे जो ऐम्पलाएमेंट एक्सचेज में डिमान्ड नोटिस जाता है उसके लिए पहले एक पोस्ट के अगेन्सट 15 नाम भेजे जाते थे लेकिन अब आठ या दस नाम भेजे जाते हैं । ऐसा क्यो किया गया ? अगर ज्यादा लड़के आयेंगे तो उनमें ज्यादा क्वालिफाइड भी हो सकते है । इसलिए क्या ज्यादा झड़के मंगवाये जायेगे ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, 30— 6— 1986 तक कुल पंजीकृत डाक्टर्ज की संख्या 805 है । इनमे आयुर्वेदिक के

467, ऐलोपैथी के 206, होम्योपैथी के 41, डेंटल सर्जन 14 तथा यूनानी प्रैक्टिशनर्ज 3 हैं । कुछ एक–दो और कैटेगरीज हैं, इस तरह कुल मिला कर 805 है । इन्होंने यह भी पूछा है कि पहले एक पोस्ट के अगेन्सट 15 नाम भेजे जाते थे। अगर एक पोस्ट के अगेन्सट 1 5– 20 की लिस्ट भेज दी जाये तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है । इसलिए सोच समझ कर और इकोनोमिक तरीके से यह क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि एक पोस्ट के अगेन्सट 8 या दस नाम भेजे जायें । जितनी जगह खाली होती है उनसे आठ गुना नाम भेजे जा सकते हैं । सिलैक्शन मे प्रोब्लम नहीं आती । अगर उन कैन्डीडेटस में सूटेबल नही मिलने है तो अगले कैन्डीडेटस के नाम भेज दिये जाते हैं ।

श्री दया नन्द शर्मा : स्पीकर साहव, नेशनल सैल्फ ऐम्पलायमैट प्रोग्राम के तहत अर्बन एरिया में गरीब फैमिलिज को पांच हजार रुपये तक लोन देते है लेकिन जब वे लड़के लोन लैने के लिए जाते हैं तो बैक वाले कह देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं । क्या मंत्री महोदय जिलेवार राशि निर्धारित करेंगे ताकि जैनुअन लोगो को लोन मिल सके क्योकि अव योग्य आदमियों को लोन नहीं मिल पाता है ओं

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इन्होंने बिलकुल ठीक कहा । बहुत से कैन्डीडेटस क्रो बैक वाले रिफ्यूज कर देते हैं । हम या अन्य किसी मंत्रालय का विभाग जब किसी कैडीडेट को स्पौन्सर करता है तो उसे लोन देने सै इन्कार कर दिया जाता है

। उसका कारण यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से दूसरे बैंकों का टारगैट फिक्स किया हुआ है कि इतना इतना लोन देना है । टारगैट पूरा होने के कारण बैक वाले लोन देने से हिचकिचाते है । हमारे नोटिम में ऐसे केसिज आगे है इसलिए हम इनटरवीन करके लौन दिलवायेंगे ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हू । इन्होने क्राईटेरिया यह रखा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। मैंने पिछली बार भी यह पूछा था कि ऐसे लोग, जिनको अपना नाम दर्ज कराये हुए 6 साल. या 8 साल या 10 साल हो गये हैं, लेकिन उनको एक भी काल आने का चांस नही मिला कितने, हैं ? ऐसे कितने केसिज हैं, उनके पास क्या यह इन्फर्मेशन है

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इस प्रकार के आकड़े तो मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं कि किसी कैडीडेट की एक दफा भी काल न निकली हो और वह इतने सालों से रजिस्टर्ड हो । इसके लिये पूरी स्टेट में एक सर्वे करना पड़ेगा जिसके लिये हो सकता है दो–तीन साल लग जायें । जनरल कैटेगरीज में अकसर लोग नाम लिखाते हैं । जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहां पर नौकरी पसन्द करोगे तो वह कहते हैं कहीं पर भी कर लेग । जब उनसे पूछा जाता है कि कैसी नौकरी 'करोगे तो वह कहते हैं कि जनरल कैटेगरी की । ऐसे लोगों को काल आने में काफी समय लग जाता है । डाक्टर साहब जो खदशा जाहिर कर रहे हैं उसके

बारे में अर्ज है कि यदि किसी जगह नौकरी के लिये कोई ऐडवर्टाईजमैंट निकले जिसमें यह लिखा हो कि उसमें यह– यह स्पैसिफिक क्वालिटीज होनी चाहियें, तो हम उन–उन स्पैसिफिक क्यालिटीज के आदमी जो हमारे ऐक्सचेंजिज में दर्ज होते हैं, छांट कर भेज देते हैं । हो सकता है ऐसे आदमियों में से किसी ने तीन महीने पहले ही अपना नाम दर्ज करवाया हो । ऐसे केसिज में कई बार नाम जल्दी भी निकल सकता है । मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आदमी की डिमांड ऐम्पलायर करता है, उसी की जरूरत के मुताबिक हम उन्हें नाम भेजते हैं । इसमें कैडीडेट का कोई कसूर नहीं है कि कितने नाम पहले दर्ज कराया है या बाद में कराया है ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्हेंने 3 4 परसैट बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी बताई है । क्या यह बेरोजगारी की परसैटेज केन्द्र या हमारे दूसरे पड़ौसी राज्यों से अधिक है या कम है?

श्री राजेश कुमार : केन्द्र और पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में कम है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं । किसी डिपार्टमैंट ने एम्पलायमैंट ऐक्सचेंज को कोई डिमांड न भेजी हो, परन्तु ऐम्पलायमैंट अफसर की तरफ से कोई इन्टरव्यू कार्ड भेज

दिया गया हो, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आदमी को इनके सामने पेश कर सकता हूं ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह तो किसी स्पैसिफिक केस की बात कर रहे हैं कि किसी डिपार्टमैंट ने डिमांड नहीं भेजी लेकिन एम्पलायमैट अफसर ने इंटरव्यू भेज दी । यह मुझे पर्सनली बता दें, जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह जरूर की जायेगी ।

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, विद आल डयू रिस्पैक्ट मैं यह कहना चाहता हू कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि ऐसे भी कुछ आदमी होते हैं जो एम्पलाय हो जाते हैं लेकिन उनके नाम भी दर्ज रहते हैं । जहां तक मुझे पता है जब ऐम्पलायमैंट एक्सचेंज से नाम भेजे जाते हैं उसके बाद जो आदमी वहां पर रख लिये जाते हैं, उनके बारे में यह इन्फार्म किया जाता है कि, ये–ये आदमी हमने रख लिये हैं, इनका नाम काट दिया जाये । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे. कि ऐसे कौन से आदमी हैं जो सर्विस में भी हों और उनके ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज में नाम भी दर्ज हों ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब । मान लो मैंने एम ० एस सी ० की है और मुझे वह नौकरी मि लती है जिसमें एक मैट्रिक या बी ० ए ० लगता है । मैं दोबारा अपना नाम लिखवाऊंगा कि मुझे अपनी क्वालीफिकेशन के मुताबिक नौकरी

तलाश करनी है । हम किसी का यह हक छीन नहइ सकते कि वह बैटरमैट के लिये नौकरी तलाश न करे ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने अभी–अभी जो सवाल पूछा था मुझे उसका जवाब अधूरा लगा है । मैं मली महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चाहे ऐजुकेशनल क्वालीफिकेशन किसी डाक्टर की है या इंजीनियर की है, या कोई और है, डिफरैटं डिपार्टमैट्स की तरफ मे या सरकार की तरफ से जो रिक्वीजीशन अति । है, उसके तहत ऐम्पलायमैंट एक्सचेंज सै नाम भेजे जाते हैं । मैंने मंत्री जी मे पूछा था कि क्या यह बात उनके ने में है कि ऐसे कितने लोग है, जिनके नाम पिछ ले 5 माल से या 10 साल से दर्ज है लेकिन उनको आज तक एक काल भी नहीं मिली हो उन्होने कहा कि ऐसा नही हो सकता । मैं सिर्फ यमुनानगर की बात ही करूंगा । यमुनानगर इनकी अपनी कास्टीच्यूएसी है । वहां के के ऐम्पलायमैट एक्सचेंज के अन्दर क्या ऐसे कोई केसिज हैं जिनको आज तक एक भी काल न भे जी गयी हो? क्या यह बात इनके नोटिस मे है ?

श्री राजेश कुमार : स्पीकर साहब, इनको डगके तिये सैपरेट क्वैश्चन पूछना चाहिए था ताकि इन तरह के लोगो की एक कम्पलीट लिस्ट हम निकाल सकते जिनको इतने सालों से नौकरी न मिती हे और उन्होंने नाम दर्ज करवा रखे हो । ऐसे लोगों की इन्टैशन से यह जाहिर है कि वह सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते है ओंर उसी की तलाश में है । सरकार नो–हाऊ देती है, लोन देती

है और दूसरी सारी सहूलियतें देती है लेकिन ऐसे लोग अपना काम धन्धा शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं । इस प्रश्न का जवाब मै परेट नोटिस देने पर मिल जायेगा ।

चौधरी अजमल खां : स्पीकर साहब मैं मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा और एक बातें कहूंगा । उन्होने यह कहा है कि स्किल्ड लेबर के ऊपर तो हम पाबन्दी नही लगा सकते लेकिन हम उन को यह अवश्य कहते हैं कि वह अन–स्किल्ड लेबर फैक्ट्रीज वाले वही से लगायें । सरकार की तरफ से जब फैसिलिटीज भी दी जाती हैं । किसानों की जमीन भी दी जाती है और सरकार की यह मर्जी भी है लेकिन फिर भी किसान के बेटे को नौकरी न मिले, यह तो गलत बात है । रोजका मेव में मैं आपके यह बताना चाहता हूं कि जितने युनिट लगे हुए हैं, उनमें बहुत ही कम तादाद वहां के लोगों की है. अन–स्किल्ड लेबर भी उन्होंने बाहर से लाकर लगा ली है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस चीज का सर्वे करवाने के लिये तैयार हैं कि ऐसे यूनिट्स में कितने लोग उस इलाके के लगे हुए हैं सरकार उनको सबसिडी भी देती है और सारी सहूलियात देती है । क्या सरकार इस बात का सर्व करायेगी कि ऐसे यूनिट्स में कितने अन–स्किल्ड लेबर उस इलाके के लगाये गये हैं ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस बात का पूरा ध्यान रखते है कि जिस इलाके के लोगों की जमीन ली जाये और जिस इलाके में वह

यूनिट लगे, उसमें वहां के लोगों को नौकरी दी जाये लेकिन फिर भी अगर यह कोई स्पैसिफिक बात नोटिस मे लायेंगे तो हम पूरा ऐक्शन लेगे । जहां तक पूरी स्टेट में हर यूनिट का सर्वे कराने का सवाल है, मै समझता है कि इससे किसी न किसी डिपार्टमैंट पर ऐक्सट्रा बर्डन पड़ेगा और यह खर्चीला प्रोसेम रहेगा । हम इम पैसे को किसी डिवैल्पमैंट्ल काम में लगा सकेंगे ।

Revenue Patwaris

***1187. Shri Jagdish Nehra :** Will the Minister of State tfor Revenue be pleased to state—

(a) whether the power of entering girdawari in the revenue record vests with the Revenue Patwaris at present; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to take away the said power from the Revenue Patwaris and the time by which the said. proposal is likely to materialise?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Question does not arise.

श्री जगदीश नेहरा : मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा । क्या सरकार के कोई प्रेमी प्रोपोजल विचाराधीन है कि यदि किसी की गिरदावरी बदली जाये तो उसकी

एक कापी नायब तहसीलदार, तहसीलदार तथा जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनके पान जरूर भेजी जाये ?

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, ये हिदायते पहले से ही हैं कि किसी की अगर गिरदावरी बदली जाये छौ उस की प्रैजैन्स में उसको हियरिग की जाए, नोटिस दिया जाए और इसके अलावा पंचायत को भी वे मेम्बर्ज लिखकर भेजे जाते हैं पन्द्रह दिन के अन्दर–अन्दर ताकि पंचायत भी उन आदमियों को सूचना दे दे ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, यह बात फील्ड में सही नही है । जहां पर भी गिरदावरी बदली जाती है, न तो उसकी नकल नायर तहसीलदार को न ही तहसीलदार को और न ही सम्बन्धित आदमियों को भेजी जनि है । पंचायत को भी भेजी जाती है ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रोसीजर है, वह मंत्री जी ने बता दिया है । आपके पास कोई इकर्मेशन है तो इनको बताओ ।.

श्री जगदीश नेहरा : मत्री जी ने बताया है कि ये हिदायतें बहुत पहले से ही हैं । इनकी स्ट्रिक्ट इम्पलीमैंटेशन हो, इसके लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने के लिये तैयार हैं ताकि यह हिदायतें सही तौर पर लागू की जा सकें 7

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, हमने हिदायत बारबार जारी की हैं कि रोजनामचे में ऐन्टरी करना जरूरी

है जहां भी कोई चेंज होती है । गिरदावर उसको चौक करेगा जब भी गश्त पर जाएगा । रैवेन्यू औफिसर को भी अधिकार है कि अगर– मौके पर कोई वात उसके नोटिस में आए तो वह चौक कर सकता है और उसको ठीक कर सकता? है । दूसरी बात यह है कि कोई ऐन्टरी बगैर पार्टीज को वताए कर दी जाए और वह नोटिस में आ जाए तो ऐसी ऐन्टरी नल एंड वायड समझी जाएगी । आफटर हीयरिंग दि पाटाज उसे सैट असाइड कर दिया जाएगा ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, एक ही फसल की गिरदावरी मालिक के नाम भी पटवारी कर देता है और मुजारे के नाम भी कर दी जाती है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर इस तरह के केसिज नोटिस में लाएं जाएं तो क्या ऐक्शन लिया जाएगा?

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, ऐक्शन लिया जाएगा ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, आज से छः महीने पहले जब भी कोई इन्तकाल होता था तो रैडक्रोस की टिकटें काटे जाने की प्रैक्टिस थी । इससे फारमर्ज बड़े परेशान थे । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह प्रैक्टिस अब भी चालू है या बन्द कर दी गई है और क्या जो इन्तकाल पैंडिंग पड़े हैं वे सब हो जाएंगे ?

चौधरी कटार सिंह छोकर : स्पीकर साहब, म्यूटेशन के टाईम पर रैडक्रौस की पर्चियां पहले काटते थे, अब बन्द करबी हैं । स्पीकर साहब, म्यूटेशन के लिए पहले से हिदायत है कि अनकौटैस्टिड म्यूटेशन का तीन महीने के अन्दर फैसला होना चाहिए और कौटैस्टिड म्यूटेशन का छः महीने के अन्दर फैसला होना चाहिए । स्पीकर साहब, अब किसानों कौ म्यूटेशन करवाने में काफी आसानी हो गई है । पहले रजिस्ट्री की दो ही कापी बनती थी लेकिन अब तीन कापियां बनाई जाती है । एक कापी पटवारी को भी जाती है और पटवारी एक महीने के अन्दर उसको दर्ज कर लेगा और दो महीने के अन्दर रैवेन्यू औफिसर उसको अटैस्ट करेगा । स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सौ दिन का एक ऐक्शन प्लान चलाया था और उसमें जून, जुलाई अगस्त और सितम्बर मे 1 लाख 6 हजार 234 अनकौंटैस्टिड म्यूटेशन क्लीयर किए और 219 कौंटैस्टिड म्यूटेशन क्लीयर किये और कुल मिलाकर इस वक्त सारी स्टेट में 15 हजार 44 अनकौटैस्टिड म्यूटेशन बाकी रहे हैं और 192 कौटैस्टिड म्यूटेशन बाकी रहे हैं ।

श्री अमीर चन्द मक्कड : स्पीकर साहब, ऐसी मिसालें हैं कि गिरदावरी किसी और के नाम कर दी गई । क्या मन्त्री महोदय बनाने की कृपा करेंगे कि इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार कुछ कार्यवाही करेगी जिससे कि जो हकदार है केवल उसी के नाम गिरदावरी हो सके ?

चौधरी कटार सिंह छोकर : अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे और कोई तरीका बंताएगे तो उन पर जरुर गौर किया जाएगा ।

श्री जगदीश नेहरा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है कि गिरदावरी बिल्कुल न बदली जाए जिस – तरह कि राजस्थान में होता है ?

चौधरी कटार सिंह छोकर : जब भी कल्टीवेशन मे चेंज होनी है तो. गिरदावरी में चेंज करना जरूरी–होता है ।

Writing off of dues pertaining to spray

***1220. Chaudhri Lila Krishan. :** Will the Minister **for** Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to write off of dues pertaining to aerial spray on cotton and other crops; if so, the time by which a decision in the matter is likely to be taken ?

कृषि मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : जी नही ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : अध्यक्ष महोदय, जो स्प्रे किया जाता. है वह इसलिए किया जाता है कि फसलो पर जो कीड़े हों, वे मर जाए पता नहीं वे कीडे मरते है या नही पर फसल जरूर मर जाती है । मैं अपने हल्के के दो गांवों दौलतपुर और कुम्भाखेड़ा की मिसाल देना चाहता हूं । वहां पर स्प्रे किया गया और वहां पूर

फसलों का काफी नुक्सान हुआ । गांव वाले मेरे पास आए और मैं उनको लेकर डिप्टी कमिश्नर के पाम गया । उन्होंनें फौरन एस० डी० एम० को मौके पर भेजा । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कीड़े तो पता नहीं कि मरे हैं या नही लेकिन फसल जरूर मर गई है क्या मच्छी महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जिन लोगों की स्प्रे से फसल बरबाद हो गई उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, मेरे नोटिस मे नही है कि स्प्रे की, वजह से नुक्सान हुआ है । माननीय सदस्य जो बता रहे है उसकी इंक्वायरी करा लेगे ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब। एरियल स्प्रे सैन्ट्रल गवर्नमैंट एडिड रही है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि अगर सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस एंड को विदड्रा कर ले तो क्या स्टेट गवर्नमैंट अपने बजट में इसका प्रोवीजन करेगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, पिछले माल तक तो स्प्रे का आधा बची सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने बर्दास्त किया और आधा स्टेट गवर्नमैंट ने बर्दाश्त किया । हम साल अकेली स्टेट गवर्नमैंट ने मारा भार उठाया है । आगे के लिए केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर दिया है ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसानों का मालिया माफ किया और दूसरे ड्यूज भी माफ किए है । पिछले साल काफी बारिश हुई

थी और नरमा की फसल को काफी नुक्सान हुआ था । हमारे यहां के किसानो की नरमा की फसल पर जो एरियल स्प्रे किया गया था उसके ड्यूज बाकी डेए । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि एरियल स्प्रे के ड्यूज को माफ किया जाएगा ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जैसा मैने कहा है कि पिछने साल तक तों आधा खर्चा केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करती थी और आधा स्टेट सरकार बर्दाश्त करती थी । 92.00 रुपए एक बार के स्प्रे पर खर्च आता है और किसान से सिर्फ 40.00 रुपए हम जेर–से हं' । इस साल जो एरियल स्प्रे हुआ उसका सारा खर्चा हरियाणा सरकार ने दिया है इसलिए वे ड्यूज माफ करना मुश्किल है ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि एरियल स्प्रे की डिस्ट्रिक्ट वाईज खर्चे की क्या फिगर्ज है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, दो जिलों में एरियल स्प्रे होता है और ये है सिरसा और हिसार। करीब 57 लाख 50 हजार इस मद में सरकार ने दिया है और 44 लाख के करीब किसानों का है जो 42 रुपए के हिसाब से लिया गया है । बाकी किमी जिले मे स्प्रे नहीं होता ।

श्री लछमन दास अरोडा : स्पीकर साहब, कुछ अर्सा पहले सिरसा जिले के सात गांवो में स्प्रे हुआ था । उस स्प्रे में

नुक्स पाया गया था । कुछ जमींदारों से तो वसूली कर ली गई और कुछ जमींदारो को स्प्रे का खर्चा माफ कर दिया गया । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जिनसे वसूली कर ली गई थी उनको पैसा वापिस किया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देनी : स्पीकर साहब, वर्ष 1983–84 मे सरकार ने स्प्रे का बची माफ किया था क्योंकि उस वक्त कई कारणों सें फसल को नुक्सान हुआ था । मैम्बर महोदय ने जौ सात गांवों का जिक्र किया है वह बात मेरे नोटिस में नहीं है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि एरियल स्प्रे की जिस तरह की पहली स्कीम थी उसको कंटीन्यू रखेगे या नहीं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, इस साल के बारे में इन्होंने पूछा था वह मैंने बता दिया है ।

ठाकुर बहादुर सिंह : स्पीकर साहब, एरियल स्प्रे बहुत अच्छी बात है । इमसे किसानों का बहुत फायदा होता हैं । बड़ी फसल होने के कारन ग्राउन्ड स्प्रे नहीं हो सकता इसलिए उन पर एरियल स्प्रे किया जाता है । हरियाणा सरकार के पास इस काम के लिए अपने हैलीकौपटर और जहाज नही है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि हरियाणा सरकार आने साधन जुटाने की कोशिश करेगी

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, ग्राउन्ड़ से तो सब जगह नही किया जा सकता । ग्राउन्ड स्प्रे के निए सबसिडी देते हैं । लोग अपने साधन से ही कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : अब क्यैश्चन आवर समाप्त होता है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Completion of roads

225. Chaudhri Lila Krishan : Will the Minister for Public Wcrks (B&R) be pleased to state whether it is a fact that the construction of the following roads in Fatehabad constituency-

(i) Phuna-Ratia road to Kunal link road; and

(ii) Fatehabad-Bhattu road to link road village Bhoria Khera leading to four mandis; is lying incomplete; if so, the reasons therefor and the time by which these roads are likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री फूल चन्द) : सीरियल नं०1 पर वर्णित सड़क पर कार्य 1980 में आरम्भ किया गया था परन्तु बाद मैं छोड़ दिया गया था । इस समय ये दोनों सड़क प्रशासकीय तौर पर अनुमोदित नहीं हैं । अतः प्रश्न कि निर्माण कर तक पूरा हो जायेगा नहीं उठता ।

Loss/Profit to the Haryana Dairy Development Corporation

226. Shri Fateh Chand Vij : Will the Chief

Minister be pleased to state the total loss suffered or profit earned by the Dairy Development Corporation during the years-198445,1985-86 and 1986-87 (upto 31--10-1986) sepatately,and the reasons, fort the if any suffered during the said 'period?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : हरियाणा डेरी विकास निगम को वर्ष 1984–83, 1985–86 तथा 1986– 87(31– 10–86 तक) के दौरान हुई हानि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

वर्ष	हानि (रु० लाखों में)
1984– 85	52.20
1985– 86	44.97
1986–87 (31– 10– 86 तक)	26.14 (यह राशि अनुमानित है तथा इसका अभी आडिट नहीं हुआ है ।)

हानि के कारण

हरियाणा डेरी विकास निगम कोई सक्रिय कार्य नही कर रही है । इसने अपने संयन्त्र तथा अन्य स्थिर सम्पति हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसव को पट्टे पर दी है । निगम इस के लिए प्रसंघ से पट्टा राशि वसूल करती है । वर्ष 1984–85, 1985– 86

तथा 1986–87 के दौरान नियत की गई, पट्टा राशि क्रमशः 33.75 लाख, 35 लाख तथा 32 लाख रु० थी ।

इस आय के विरुद्ध निगम मुख्यत दो मदो पर अर्थात राज्य सरकार भारतीय डेरी निगम तथा बैकों से लिए कर्जे पर ब्याज व अवमूल्यन पर व्यय करती है । इन तीन वर्षों के दौरान यह व्यय निम्नलिखित प्रकार से हुआ

वर्ष	ब्याज (लाख रु०)	अवमूल्यन (लाख रु०)
1984–85	39.34	40.29
1985– 86	42.91	35.62
1986–87	26.44	18.08

Special grants to Municipal Committees

227. Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister of state for Local Goveronment be pleased to state whether special grants have been given to any of the Municipal Committees in the State during the years 1985-8.6 and 1986-87(upto 31-10-1986); if so, the names of such Municipal Committees together with the year-wise amount given to each Municipal Committee, separately?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए० सी० चौधरी) :

(1) हां ।

(2) नगरपालिकाओं को वर्ष 1985–86 एवं' 1986–87 में (31– 10–86 तक) जो विशेष अनुदान दिया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	नगरपालिका का नाम	राशि (रु ० लाखों में)
	वर्ष 1985– 86	
1	रोहतक	37.00
2.	रोहतक	25.00
3.	सोनीपत	5.00
	वर्ष 1986– 87	
1.	रोहतक	25.00
2.	बहादुरगढ	31.00
3.	भिवानी	18.71

Elections to Municipal Committees

***228. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to refer to reply to Starred Question No. 1076 answered on 21-2-1986 and to state the time by which the Municipal Elections in the State are likely to be held?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए० सी० चौधरी) : हां, नगरपालिकाओं के चुनाव वर्ष 1987 में राज्य विधान, सभा चुनावों के तुरन्त पश्चात् करवायें जायेंगे ।

Hathni Kund Barrage on River Yamuna

229. Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the construction of Hathni Kund Barrage on river Yamuna was started ;

(b) the date on which the said barrage was originally scheduled to be completed and, if not so far completed, the time by which it is likely to be completed ;

(c) whether it is a fact that the U.P. Government has already constructed a dam and is constructing another dam in front of the said barrage; and

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative. the steps, if any, taken or proposed to be taken to safeguard the interests of the State?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) :

(क) डाईवर्शन कार्यो की खुदाई करने के लिये हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1979 में शुरू किया गया था । इस कार्य को उस स्थिति पर बंद करना पड़ा जबकि उत्तर–प्रदेश सरकार ने एतराज उठाये और पुलिस बल को भेजा ।

(ख) यह कार्य जून, 1982 तक पूरा किया जाना था अर्थात शुरू होने के तीन साल बाद अब इस बैराज का कार्य पुनः शुरू होने के तीन साल बाद पूरा होगा ।

(ग) नही । फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार का खारा हाइडल चौनल के टेल रेस के पानी को यमुना नदी में हथनीकुण्ड बैराज के 450 मीटर ऊपर की ओर को गिराने का प्रस्ताव है ।

(घ) खारा हाईडल प्रोजैक्ट आक काल चौनल के हथनीकुण्ड बैराज पर पड़ने वाले प्रभावों का निरीक्षण करने के लिये माडल टैस्ट सैट्रंल वोटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पूना द्वारा किये जा रहे हैं । वाटर एण्ड पावर रिसर्च स्टेशन, पूना द्वारा किये जा रहे है

वाक आउट/ त्याग पत्र –

श्री ओम प्रकाश महाजन द्वारा

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय आज कुछ घंटो के बाद सैशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा और हम लोग भी अपने अपने इलाकों में चले जाएंगे । सारे हरियाणा की जनता के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं । जब हम अपने इलाकों में जाएंगे तो हम से वहां जाने पर एक सवाल किया जाएगा .....

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहब, इसकी कोई जरूरत नही है । .....

श्री अध्यक्ष : यह बात मेरे ख्वाल में तो पार्टी मीटिंग में हुई होगी । अगर आप इस बात की यहां पर चर्चा करेंगे तो इससे कई बातें फलेयर–अप हो सकती हैं । इसलिए मैं समझता हू कि इस बात को यहां पर डिसकस न करें तो ठीक रहेगा ।

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर साहब, मैंनै कभी भी आपकी हुकमअदूली नही की और न ही कभी सदन की मर्यादा को भंग किया है । ..... मेरी आत्मा की आवाज यह कहती है कि मैं यहां पर न बैठी, इसलिए मैं हाउस मै बाहर चला जाता हू और यहां से अपना त्यागपत्र दे देता हूं । (व्यवधान)

(इस समय श्री ओम प्रकाश महाजन मदन मे उठ कर चले गये)

श्री हुकम सिंह : स्पीकर साहब, श्री ओम प्रकाश महाजन ने अभी जो बात कही है, इसका नोटिस लिया जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

आवाजे : जो बात ओम प्रकाश महाजन ने कही है, वह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए ।

श्री लछमन दास अरोड़ा : तो जो सी० एम० साहब ने इस सम्बन्ध में कहा है वह भी रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई बात रिकार्ड पर नही आयेगी ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, मै बिजली के मुताल्लिक अपने हल्के की कुछ बातें यहां सरकार के सम्मुख रखना चाहता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । अम्बाला कैन्ट एक साइंटीफिक सिटी है और अम्बाला शहर सिटी आफ मिकसीज है । इन फैक्टरियों में हजारों वर्कर काम के लिये गांवों से आते हैं लेकिन इन फैक्टरियों मे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली नही मिलती है । जो गरीब वर्कर्ज गांवों से आते हैं वे रात की सर्दी में काम नही कर सकते हैं । बिजली की सप्लाई में कमी के कारण ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक हार्स पावर से लेकर 5 हार्स पावर तक की कैपेसिटी के जनरेटर्ज की सप्लाई होनी चाहिए । जिन छोटी फैक्टरीज में पांच तक ऐम्पलाईज काम करते हैं बिजली न होने के कारण उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है । स्पीकर साहब सारे हरियाणा का वन थर्ड ऐक्सपोर्ट का माल अम्बाला से तैयार होता है । इसलिये वहां पर बिजली की सप्लाई मुतवातर होनी चाहिये ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अपना काम सुचारू ढंग से चला सकें और वहां काम करने वाले वर्करों को भी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े । इसके साथ साथ ऐसी फैक्टरियों को छोटे छोटे जनरेटर्ज खरीदने के लिये कर्जा दिया जाना चाहिये और उन पर

दो सालों के लिये सयसिडी की सहूलियत भी मुहैया की जानी चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह रिक्वैस्ट करूंगा कि अम्बाला कैरेट में एक अस्पताल है । वहां पर हाट लाईन का प्रबन्ध नही है और आपरेशन करने के समय जब बिजली बन्द होती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । इसलिये वहां पर हाट लाईन का प्रबन्ध शीघ्राति शीघ्र किया जाना चाहिये ।

स्पीकर साहब, अम्बाला की रोज की बिजली को कंजम्पशन 2 लाख यूनिट्स के लगभग है जोकि दूसरे बड़े बड़े शहरों की निस्बत बहुत ही कम है । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । चूंकि यह एक इंडस्ट्रीयल शहर है इसलिये यहां पर बिजली की सप्लाई ठीक से होनी चाहिये ।

स्पीकर साहब, मैं एक और प्वायंट सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । अम्बाला कैन्ट में पिछले चार पांच महीनों से बिजली के इकट्ठे बिट लोगे के पास आ गये हैं और बहुत ज्यादा रकम उनकी पे करनी पडेगी जोकि एक कंज्यूमर के लिये काफी मुश्किल है । अगर किसी एक कंज्यूमर का एक हजार का बिल आया है तो उसको इकट्ठा पे करने पर काफी दिक्कत होगी । अगर वे लोग बिल निधीरित डेट तक पे न करेंगे तो उन बे वारों के मीटर कट जाएगे और इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान होगा और गरीब वर्कर जो वहां पर काम करते हैं, वे भी बेकार हो जाएंगे ।

इसलिये मेरी सरकार से यह रिक्वैस्ट है कि विभाग को इस प्रकार की हिदायतें दो जाएं कि ये विल लोगों को बाई इंस्टालमैन्ट भेजे जाएं ताकि वे लोग आसानी सें पेमैण्ट कर सके और इसके साथ इस तरह की हिदायतें भी जारी होनी चाहिये कि आगे से हर महीने के महीने बिजली के बित लौगों को भेजे जाएं ताकि उनका पेमैन्ट करते वक्त किसी किस्म की फीलिंग न हो । अन्त में मेरा एक और सुझाव है कि स्कूलों और कालेजों में सांईस का सामान खरीदने के लिये जो ग्रान्ट दी जाती है उनकी अन्तिम डेट 31 मार्च तक होती है और उन स्कूलों तथा कालेजों को ग्रान्ट देर से दी जाती है जिससे वे उस पैसे का समय पर उपयोग नहीं कर पाते और वह पैसा लैप्स हो जाता है और सामान भी नहीं खरीदा जात? । इसलिये यह पैसा ग्रान्ट के तौर पर समय से काफी पहले सरकार की तरफ से दे दिया जाना चाहिये ताकि समय पर सामान खरीदा जा सकै । मेरी बिजली तथा सिंचाई मन्त्री महोदय से रिक्वैसट है कि वे मेरे इस कथन के वारे में हाउस मैं कोई वक्तव्य दें और आश्वासन दे ताकि लोगों को कुछ थोड़ी मी राहत की सांस आ सके । धन्यवाद ।

चौधरी रोशन लाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इस शून्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं । हमारी पुरानी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने नयी शिक्षा नीति अपनायी है । इन में नये नये कोर्स शामिल किये गये हैं । मै सुझाव देना चाहता हू कि दर्शन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में

फिलौ– सफी कहतें हैं, को पढ़ाने में भी सरकार को पूरी रुची लेनी चाहिये । हमारा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसमें भी इस विषय को पढने के लिये विचार किया गया है । इसके, साथ साथ मै यह भी चाहता हू कि यह विष्य सभी स्कूलो ओर कालेजो में भी अवश्य पढाया जाना चाहिये । स्पीकर साहब, स्कूलों ओर कालेजो में यह वताया जाए कि हमारे पास दर्शन शास्त्र पड़ाने का प्रबन्ध है और जो छात इसे पढ़ना चाहता है, वह पढ़ सकता है । यह बात प्रौसपैक्टस मे भी छापी जानी चाहिये ताकि लोगों को इमकी जानकारी हो सके ।

स्पीकर साहब, पश्चिमी देशों मे, मैं यह नही कहता कि विद्वान नहो हैं । वहां पर विद्वान अवश्य हैं लेकिन उनका उदगम हमारे देश में हुआ है । आज पश्चिमी देशो मे भी दर्शन शास्त्र पढ़ा जाता है । विदेशों मैं भी इसका बड़ा महत्व है । तो इस मामले में हम क्यों पीछे रहे ? जो लोग साईंस, इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ते हैं उनके लिये भी यह सबजैक्ट पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे भाई चारे की भावना बढ़ती है और आत्मा की पवित्रता होती है । इसलिये हमारे विश्वविद्यालयों मैं इस सबजैक्ट को भी पढ़ाया जाता आवश्यक है । कोई भो व्यक्ति चाहे कितना बड़ा भो अफसर क्यो न हो, प्रमुख क्यो न हो लेकिन जब तक उसमें ईमानदारी न होगी, मानवीयता न होगी, गुण न होंगे तब. तक उसे बड़ा अफसर या बड़ा आदमी नहो कहा जा सकता । जिस व्यक्ति ने यह सबजैक्ट पडा हागा तो उसके अपने मन के

अन्दर स्वाभाविक तरि पर प्रकाश होगा, चेतना होगी और वह कभी गलत काम की ओर नही जाएगा । इसलिये मेरा नम्र निवेदन हे कि सरकार दर्शन शास्त्र के सबजैक्ट को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अन्दर लागू करवाए ताकि छाता का उत्थान हो सके । इसके साथ साथ मैं यह कहूंगा कि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक, के अन्दर फिलासिफी का एक विभाग कायम किया जाना चाहिये । अन्त में, मैं यही कुहना चाहता हू कि इस विषय को स्कूल लैवल औंर कालेज लैवल पर पढाया जाए ताकि छात्र इसका पढ़कर हमारे पुराने ऋृषि मुनियों का मार्ग दर्शन कर सके । इस से समाज की बहुत उन्नति होगी और सुधार होगा । यही मेरे गक दो सुझाव हैं । आशा है कि सरकार इन पर अवश्य हो विचार करेगी ।

श्री मोहन लाल पीपल : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय का एक अहम मसले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । जव से साहबी नदी पर मसानी बांध बनना सुरू हुआ है तब से मेरे हल्के पटोदी में पानी की बहुत किल्लत हो गई है । पहले जब साहबी नदी का पानी या बाढ़ का पानी आता था तो उस हल्के में बहुत अच्छी फसल होती थी लेकिन जब से मसानी बांध बनना शुरू हुआ है राजस्थान सरकार ने अपने इलाके में पीछे छोटे छोटे बांध बांध कर उस पानी को रोक लिया है जिमकी वजह से पटौदी हल्के के अन्दर पहले जो जमीनें फसलें पैदा करती थी वहां बहुत कम कसले पैदा होती हूँ । पिछने दिनों मेवात प्रोजेक्ट कैनाल बनाने की प्रपोजल बनी थी । मैं मुख्य मन्त्री

जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन कैनाल को बनाने की अनुमति देकर उस पर तुरन्त कार्य करवाए ताकि पटौदी, तावडू और नूह के क्षेत्र भी फायदा उठा सकें । जब हमें एस० वाई० एल० कैनाल का पानी मिलेगा तो इन तीन क्षेत्रों को भी मेवात प्रोजैक्ट कैनाल द्वारा एस० वाई० एल० का पानी मिल सकेगा और जमींदार अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे । इसलिये अन्त में मेरा मुख्य मन्त्री जी से यही निवेदन शै कि मेवात प्रोजैक्ट कैनाल की स्वीकृति देकर उस पर तुरन्त कार्य शुरू करवाया जाए ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, ताजेवाला से जो नहर आती है उसका कुछ पानी निकाल कर या जैसे भी सरकार की स्कीम होगी, वहां से अम्बाला जिले को पानी देने का प्रोग्राम है । इसमें कालका और नारायणगढ़ तहसीलें शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां ट्यूबवैल काफी है । मेरा निवेदन है कि इन दोनों तहसीलों की भी उस पानी से सिंचाई होनी चाहिए । मेरा फिर निवेदन है कि इन इलाकों को भी उसमें ले लिया जाए । धन्यवाद ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्दी जी से निवेदन करूंगा कि गांवों में वाटर सप्लाई के लिए बिजली की बहुत दिक्कत है । कई बार किसी कारण से बिजली सारा सारा दिन नहीं आती । इसलिये मेरा निवेदन है कि हर वाटर सप्लाई स्कीम पर जनरेटर सप्लाई करवाए जाएं । दूसरे छोटे छोटे सब डिविजनों पर जो हमारे हस्पताल हैं

उनमें भी जनरेटर सप्लाई करवाए जाए ताकि किसी मरीज के साथ बगैर बिजली होने के कोई हादसा न हो जाए । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे देहातों के अन्दर पानी की बहुत सख्त तकलीफ है । खास कर जहां कड़वा पानी है वहां न तो ट्यूबवैल का पानी मिलता है ओर न किसी और जरिए से पानी मिलता है । एक ही गांव से कई कई गांवों के लोग पानी लेकर आते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पीने के पानी का तथा हस्पतालों में इन्सानों की जिन्दगी बचाने का प्रबन्ध करना बहुत ही जरूरी है ।

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के रादौर के पास जमुना रिचर है । जमुना पार हमारी हजारों एकड़ जमीन है जिसेमें से कुछ जमीन यू ० पी० के लोगों ने दवा रग्बी है । मेरी रिकवैस्ट है कि उस जमीन के बारे में जो डिस्पयूट है उस पर गौर किया जाए और कई हजार आदमियों की जो जमुना पार आबादी है उनके लिए उस झगडे को कम करवाया जाए । वह इलाका हरियाणा के अन्दर ही पड़ता है ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, जंसे कि अभी पीपल साहब ने भी मेवात प्रोजैक्ट कैनाल के बारे में कहा, मैं भी उस बारे मे कुछ कहना चाहता हु । यह प्रोजैक्ट हरियाणा के उस हिस्से के लिए है जो आज सब से ज्यादा खुशक है । इसमे महेन्द्रगढ़ और गुड़गाव जिलों के क्षेत्र आते है । मैं गुड़गाव के लिए मेवात कैनाल की खास हिमायत करता हूं । आज पोजीशन

यह है कि मेरे हल्के में 70– 80 गांव ऐसे हैं जहां न फसलों के लिए पानी है और न पीने के लिए पानी है । वहा पर कुएं भी सूख चुके हैं । पहले जो कुदरती सूलड आता था वह हमारे लिए रहमत बन कर आता था लेकिन अब वह जहमत बन गया है क्योंकि अब वहां का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है । इसलिये अगर वहां पर मेवात कैनाल न पहुंची तो उस इलाके का बहुत ज्यादा नुकसान होगा । लोग पीने के पानी से भी महरूम रह जाएंगे । अगर एस ० वार्ड ० एन ० कैनाल का पानी पहले आ जाता है और मेवात कैनाल बाद में बनाई जाती है तो भी पानी मिलने में बहुत समय लग जाएगा । इसलिये उस नहर को जल्दी बनाया जाए । उस इलाके में जमुना से पानी लाकर जोहड़ों में डलवाया जाए और मेवात कैनाल पर काम जल्दी शुरू करवाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । आपकी बात आ गई है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य देने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री जगदीश नेहरा एम ० एल ० ए ० की ओर से फारमर्ज को उनकी फसलों ऐटसैटरा की रीजनेबल प्राइस न मिलने के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस मिला है जिसे मैं ऐडमिट करता हूं ।

मि ० नेहरा अपना नोटिस पढ दें और मंत्री जी अगर इसका आज ही स्टेटमैंट देना चाहे तो दे दें ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हं कि किसानो को उनकी उपज जैसे कि गेहूं चना चावल, बाजरा, सब्जिया, कपास, तिलहन तथा दालों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा जबकि उन्हें अपनी उपज पर भारी माता में खर्च करना पड़ता है । उन्हें पानी, बीज, खाद तथा छिडकाव करनें, आदि पर खर्च करना पड़ता है । यदि भूमि की लागत पर ब्याज का हिसाब लगाया जाए, तो कोई भी किसान अपनी भूमि पर काश्त करने के लिए तैयार नही होगा । किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण उक्त वस्तुओं की उपज पर किसानों द्वारा किए गए खर्च को ध्यान में रखते हुए किया जाए या किसानों की उपज के मूल्यों को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन तथा आय को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा गया है । किसानों को दोष क्यों दिया जाए जो प्रत्येक के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं परन्तु उन्हें अपनी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता । 'हरियाणा सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे पग उठाए जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके या इसके लिए केन्द्र सरकार को लिखे और जोर डाले ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके । यह एक अत्यावश्यक मामला है ।

वक्तव्य–

(1) कृषि मंत्री दारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, विभिन्न कृषि उपजी का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि लागत तथा मूल्य आयोग और राज्य सरकारों की सलाह मे निर्धारित किया जाना है ।

2. प्रत्येक फसल मौसम के लिये प्रति वर्ष विभिन्न फसलों के उत्पादन से सम्बन्धित लागत बारे आयोग राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करता है । तदोपरान्त आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें करता है । आयोग की सिफारिशों के आधर पर भारत सरकार राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है ।

3. उत्पादन की लागत औकने हेतु राज्य सरकार विभिन्न लागतों जैसे मजदूरी तथा खाद बीज, दवाईयां तथा निश्चित लागत जैसे भूमि के चकौते की लागत टैक्स व निश्चित पूंजी पर ब्याज तथा डेपरिसियेशन आदि को ध्यान में रखती है । लागत में मैनेजमैन्ट के खर्चे तथा मौसमीय खतरे व परिवहन व्यय भी शामिल किया जोता है ।

4. राज्य सरकार का किसानों के लिये भारत सरकार से लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये हमेशा भरसक प्रयत्न रहा है ।

खरीफ, 1986 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु राजा सरकार की सिफारिश व भारत सरकार द्वारा निर्धरित न्यूननम समर्थन मुल्यो का व्यौरा इस प्रकार है :–

क्र० सं०	फसल का नाम	राज्य सरकार द्वारा सिफारिश न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)	भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.	चावल (आम किस्म)	155.00	146.00
2.	बाजरा	190.00	132.00
3	मक्की	175.00	132.00
4.	कपास		
	(1) देसी	550.00	345.00
	(2) एच– 777	600.00	430.00

5. रबी फसलों के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित समर्थन मूल्यों की सिफारिशें की गई हैं :–

क्र ०	फसल का नाम	न्यूनतम समर्थन मूल्य

सं ०		के लिये राज्य सरकार की सिफारिश (रुपये प्रति किवंटल)
1.	गेहूं	175.00
2.	चना	400.00
3.	जौ	165.00
4.	सरसों	425.00

6. भारत सरकार द्वारा रबी फसलों के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा अभी की जानी है ।

7. समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय भारत सरकार न केवल उत्पादन की लागत (जिसमें किसान का लाभांश भी सम्मिलित है), बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर कृषि मूल्यों के प्रभाव आदि को भी ध्यान में रखती है ।

8. मूल्य सूचक में अन्य कीमतों के अलावा कृषि उपजों की कीमत भी शामिल होती है । अतः मूल्य सूचक को विभिन्न छवि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

9. जहां तक सब्जियों का प्रश्न है, इनका कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित नही किया जाता क्योंकि ये खराब होने वाले

पदार्थ हैं तथा सरकारी मशीनरी के माध्यम से इनकी सरकारी खरीद करने हेतु कोई प्रवन्ध नही किये जा सकते ।

10. राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की विभिन्न संस्थाये जैसे हैफेड, खाद्य एवं पूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम क्या भारतीय कपास निगम समर्थन खरीद करके समर्थन मूल्य बनाये रखने तथा इन्हें सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है ।

11. राज्य सरकार भी विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत कौ घटाने के भरसक प्रयत्न करती है । क्योकि सूखे की स्थिति के कारण किसानो को गत खरीफ मौसम में भारी हानि उठानी पड़ा है, इसलिये वर्तमान रबी मौसम के दौरान विभिन्न फसलो के प्रमाणित बीज किसानो को 25 प्रतिशत की छूट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में एक करोड़ रुपये व्यय कर रही है । राज्य मे सूखे से सबसे अयिक प्रभावित महेन्द्रगढ, भिवानी, हिसार, गुड़गांव फरीदाबाद, रोहतक तथा सोनीपत के जिलों के किसानों को खाद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है जिसकी अधिकतम सीमा 165 रुपये प्रति किसान है । इससे 2.50 करोड़ रुपये का खर्च होगा । गेंहू खरपतवार नाशियों पर भी किसानो को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । महेन्द्रगढ़ तथा गुड़गांव जिलो में सरसों की फसल पर हवाई छिड़काव का मुफ्त प्रबन्ध किया जायेगा यदि उस पर बीमारी लगने की स्थिति उत्पन्न होती है । गत खरीफ के मौसम में राज्य सरकार द्वारा कपास पर हवाई छिड़काव की लागत में राहत देने

के लिए 57.50 लाख रुपये की राशि खर्च की । प्रति एकड प्रति छिड़काव पर 92 रुपये की लागत के विरुद्ध किसानों से केवल 40 रुपये प्रति एकड प्रति छिड़काव ही वसूल किया गया । छोटे व सीमान्त किसानो को नलकूपो व पम्पसैट्स लगाने हेतु क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33½ प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है । किसानों द्वारा भूगत जल के प्रयोग हेतु फुव्वारा निचाई मैटों की लागत पर प्रति सैट 3,000 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बड़ी तफसील से बताया कि हरियाणा सरकार ने इस बारे में बहुत कोशिश की है । लेकिन मेरा सवाल यह था कि किसान अपने खेत में जो पैदावार करता है उसमें लागत अधिक आती है, जैसे जमीन की कीमत का, फसल मे खाद डालने का, बीज का, फसल में यदि कोई बीमारी लग जाए तो उस पर छिड़काव का, मजदूरी का खर्चा जोड़ा जाए तो किसी भी किसान को लाभ नही होता है, घाटा ही घाटा होता है । यदि इन सारे खर्चों को जोड़ा जाए और सरकार जो प्राइस इन्डैक्स बनाती है उससे मिलाया जाए तो किसान को लाभ नही होता बल्कि घाटा अधिक होता है । मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो गेहूं, चना, कपास और तिलहन वगैरह हैं इनमें से मैं खास करके गेहूं के बारे में पूछना चाहूंगा। मन्त्री महोदया भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं और स्पीकर साहव आप भी किसान हैं । गेहूं पर प्रति क्विटल किसान

का कितना खर्चा आता है, सारी चीजो को मिला कर गेहूं पर जितना खर्चा आता है क्या उसके बारे मे हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि इतना समर्थन मूल्य दिया जाए? क्या हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को यह भी लिखा है कि किसान की पैदावार पर जितना खर्चा आता है उसको प्राइस इन्डैक्स के साथ जोड़ा जाये? किसान अपने उत्पादन को बाजार में जा कर बेचता है उसकी कीमत तो घटती जा रही है या वही है । अगर पांच रुपए क्विटल के हिसाब मे गेहूं की प्राइम बढा दी तो क्या हुआ ? लेकिन किसान अपनी जरूरियात की जो चीजें बाजार से खरीदता है उनके दाम बहुत महंगे होते जा रहे है क्योंकि उनकी प्राइस तो प्राइस इंडैक्स के साथ टैगविद है । सरकारी कर्मचारियो को भी प्राइस इडैक्स के साथ जोडा हुआ है उनको भी प्राइस इंडैक्स बढने के साथ डी ० ए० की इम्टालमैंटस मिल जानी है । लेकिन किसान को उसके उत्पादन का मूल्य प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ करके नही दिया जाता है। हरियाणा के अन्दर 80— 90 परसैन्ट किसान है उनके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? मै मन्त्री जी से जानना चाहुंगा कि किसान का गेहूं के उत्पादन पर पर क्विटल कितना खर्चा आता है? हरियाणा सरकार ने भारत सत्कार को जो समर्थन मूल्य रिकमैड' करके भेजा है क्या भारत सरकार ने उतना रिकोगनाइज किया है ? अगर नही किया तो क्या हरियाणा सरकार केन्द्रीय सरकार को किसान के उत्पादन पर आए खर्चे को प्राइस इंडैक्स के माथ जोड़ने के लिये लिखेगी, अगर नही लिखेगी तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस ने भाषण तो बहुत लम्बा चौड़ा दे दिया है। स्पीकर साहब, आप भी किसान है, में भी किसान हूं और माननीय सदस्य भी किसान हैं । सबको पता है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश रहती है कि किसान की हर चीज का हिसाव लगा करके जैसे जमीन की कीमत का 10 परसैन्ट ब्याज लगा करके और सारे खर्चें मिला करके किसान को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की प्राइस दिलवाने के लिये भारत सरकार पर दवाव डानने को कोशिश की जातीं है, लेकिन भारत सरकार जो कुछ भी मूल्य निधारित करनी है वह सारा हिसाव लगा कर ही निर्धारित करती है । स्पीकर साहब, गेहूं की पैदावार पर 200 रुपए प्रति क्विटल का खर्च आना है और उसके अन्दर सारे को हिसाब लगाया जाता है । जैसे मजदूरी का, खाद का, और बीज का । जो सबसिडी दी जाती है उसका खर्चा इसमें शामिल नहीं किया जाता । सरकार की तरफ से हमेशा यह कोशिश रहती है कि किसानों को उसकी फसल का ज्यादा से ज्यादा भाव मिले ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान का, गेहूं उत्पादन करने पर पर क्विंटल कितना खर्चा आता है?

श्री अध्यक्ष : उन्होने इस बारे में आपको बता दिया है ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने क्या अपने ऐक्सपर्टस से इस बात का सर्वे करवाया है कि किसान का गेहूं की फसल पर प्रति क्विटल कितना खर्चा आता है? क्या इस खर्चे में खाद पर, बीज पर, सप्रे करवाने पर, और जमीन की कीमत पर ब्याज आदि के खर्चे को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप गेहूं की फसल में चार कट्टे खाद के डालने चाहेंगे और मैं दो ही कटटे डालना चाहूंगा, तो उसके खर्चे का कैसे हिसाब लगाया जा सकता है?

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया ही नहीं । मैंने पूछा कि क्या हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि किसान का जितना खर्चा आता है उसको प्राइस इंडैक्स के साथ जोड़ा जाए, अगर नहीं लिखा है तो कब लिखा जाएगा?

11.00 बजे ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, हम समय समय पर भारत सरकार को लिखते रहते हैं, उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं और उनसे मिलते भी रहते हैं । स्पीकर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर जमीन पर पैदावार का खर्चा अलग अलग आता है, । कुछ जमीन ऐसी होती है जो कम खाद मांगती है और कुछ जमीन जैसे बांगड़ साइड की है. वह ज्यादा खर्चा मांगती है । इसलिये खर्चे के हिसाब से प्रति क्विंटल पैदावार का खर्चा

घटता बढ़ता रहता है । हिसार ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी समय समय पर प्रयोग करती रहती है कि कौन सी जमीन में कौन सी खाद डालने पर अधिक पैदावार होगी ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इन्होंने अभी बताया है कि एक क्विंटल गेहूं की पैदावार पर 200 रुपये खर्चा आता है जबकि इन्होंने अपने जवाब के अन्दर भारत सरकार को लिखा है कि क्विंटल पर 175 रुपये खर्चा आता है । जब 200 रुपयें खर्चा आता है तो फिर इन्होने भारत सरकार को 200 रुपये फी क्विंटल के हिसाब मे क्यों नही लिखा?

श्री अध्यक्ष : इसमें इन्होंने सबसिडी को शामिल नही किया है ।

श्री जगदीश नेहरा : इन्होंने अपने जवाब में 175 रुपये फी क्विटल का खर्चा आया बताया है । क्या ये फिर 25 रुपये खुद ही खा गए । स्पीकर साहब, ये मेरे सवाल का ठीक उत्तर नही दे पा रही हैं कि एक क्विटल गेहूं पर कितना खर्च आता है? एक तरफ तो ये 175 रुपये बता रही हैं और दूसरी तरफ 200 रुपये बना रही हैं । इनमें से हम कौन सी बात को सही मानें?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जो जवाब मैंने दिया है उसमे 10 परसैन्ट किसान का लाभ काट कर और सबसिडी को निकाल कर बताया है ।

(2) स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मलेरिया फैलने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज 2 दिसम्बर, 1986 को हैल्थ मिनिस्टर साहब ने **श्री जगदीश नेहरा :** के काल अटैन्शन मोशन ... नम्बर 6 पर आज स्टेटमैंट देने को कहा था । वे कृपया अपनी स्टेटमैंट दे दें ।

Health Minister (Shri Goverdhan Dass Chauhan) : M r. Speaker Sir, incidence of malaria during the first 10 months of 1986 has been consistently lower than that of corresponding period of 1985 as drawn below:-

Month	Malaria Cases		Variation in % age
	1985	1986	
January	2496	1529	—38.7
February	1779	1476	—17.0
March	2288	1955	—14.5
April	3753	3197	—14.8
May	8295	7468	—9.9
June	11333	7708	—31.9
July	14685	9985	—32.0
August	21682	9740	—55.0
September	19344	.10495	—45.7
October	10201	4704	—53.8

From the above it will be clear that the incidence during July, 86 and August, 86 has been lower by 32% and 55% respectively as compared to the incidence during corresponding months of 1985.

The choice of insecticide is based on incidence and prevalence of disease and type and habits of malaria transmitting mosquitoes. Based on this data, spray with different insecticides in each block is determined by Govt. of India and spray programme is carried out in accordance with their instructions. Each hatch of insecticide (M alathion/BHC) is got tested from an approved laboratory and is accepted and used for spray only if it conforms with ISI specifications.

For malaria purpose, Haryana is still divided in 87 blocks and all the data is monitored and assessed on this basis. At present 41 block s are sprayed with Malathion, 45 blocks with BHC and one block (Pundri) with DDT on experimental basis.

Every effort is made to control the incidence of malaria in the State and spraying is done as per schedule fixed by Govt. of India. In 1976 the incidence was highest i.e. 7.36 lacs cases. Because of this sharp increase, Modified Plan of Operation was introduced in 1977, the insecticidal spray was again started and the surveillance operation was taken in right earnest. Since then. the incidence of malaria cases in Haryana has been progressively declining and it has come down from 7.36 lacs in 1976 to 1.04 lacs in 1985 showing a decline of 86%. This is mostly attributed to spray operations and better surveillance. The main objectives under Modified

Plan of Operation under National Malaria Eradication Programme arc to control morbidity and mortality due to malaria and as such. the spray is mainly to interrupt the chain of transmission through the known vectors (varities) which cause malaria in this part of the country.

In 1986, it was observed that in some of the, pockets covered under BHC spray, the incidence of malaria had gone, up. The Govt. of India has been approached for change over of insecticide spray from BHC to Malathion in all these areas.

In addition to spray, blood slides are taken and anti-Malarial drugs given to fever cases and health education is imparted to public.

Shri Jagdish Nehra : S ir, I would like to ask through you from the Hon'ble. Minister as to what steps have been taken by the Haryana Government to effectively stop the spread of Malaria or to curb this diseasc? Secondly, I would like to ask from him as to whether there was any period when the disease of Malaria had been totally eradicated in the State? I may be given this information alongwith the figures. Thirdly, I would also like to know how much amount has been spent by the Haryana Government for the eradication of Malaria in Haryana? Fowthly, with due apology, I would like to ask as to why the Government is experimenting with the spray of Malathion in 41 Blocks and spray of BHC in 45 blocks when it is very well known to the Government that BHC has no effect on mosquitoes ?

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहव, इन दवाइयों का 50 परसैन्ट खर्च गवर्नमैंट औफ इंडिया देती है और 50 परसैन्ट खर्च हरियाणा सरकार देती है । जहां तक ब्लाक्स के डिविजन का सम्बन्ध है इन्हे गवर्नमैंट औफ इंडिया की हिदायत पर ही डिवाइड किया गया था कि 41 ब्लाक्स मे मैलाथीन दवाई का प्रयोग होगा और 45 में बी ० एच ० सी ० का प्रयोग होगा । अव द्वारा गवर्नमैंट औक इंडिया से इस बात के लिए सलाह कर रखे है कि बी ० एच ० सी ० को बजाय मैला थीन का छिड़काव ही इन ब्लौक्स मे भो शुरु किया जाए ताकि मच्छरों पर पूरी तरह कन्ट्रोल किया जा सके ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मेरे पूरे सवाल का जवाब नही आया । क्या ये बताएंगे कि वह कौन सा साल था जिसमें हरियाणा मैं मलेरिया बिल्कुल खता हो गया था अगर करन नही हुआ था तो ओ–इफेक्ट की फिगर क्या थी ? मलेरिया को खत्म करने के लिए सरकार क्या स्टैप्स उठा रही है, यह भी इन्होंने नही बताया । स्पीकर साहव, इस काम के लिए आधा पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आता है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमैंट देनी है । क्या मन्त्री जी बताएगे कि कितना पैसा आया और कितना उसमें से खर्च हुआ ?

श्री गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, ये फिगर्ज इस वक्त मेरे पास नही हैं कि कितना पैसा आया और कितना खर्च किया गया । जहा तक मलेरिया को रोकने के लिए उठाए गए

स्टैप्स न का सम्बन्ध है, हमारे वर्कर्ज जगह जगह जाकर स्लाइडज लेते हैं और अगर मलेरिया का पता चल जाए तो दवाई देते हैं ताकि मलेरिया रोका जा सके । काफी से ज्यादा काम हमने इम दिशा मे किया है ।

श्री अध्यक्ष : यह भी बना दें कि कौन से साल में यह मे डिकेलेयर किया गया था कि हरियाणा मे मलेरिया बिलकुल नहीं है ।

श्री गोवर्धन दास चौहान : ऐसा कोई साल नही था जिसमें कोई केस न हुआ हो । थोडे बहुत केसिज तो हर मान होते ही रहते हैं ।

नियम 64 के अधीन वक्तव्य–

लोक निर्माण मंत्री द्वारा सम्पूर्ण बाल विकास सेवाओं सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : इस पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर श्री फूल चन्द मुलाना जी हरियाणा विधान सभा के रुल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ओफ बिजनैस के रूप 64 के तहत इटेग्रेटिड चाइल्ड डिवैल्पमैंट सर्विसिज के बारे मे अपनी स्टेटमेंट देंगे जिसके लिए मैंने परमीशन दें दीं है ।

Public Works Minister (Shri Phool Chand) : Speaker Sir, as the Hon'ble members, may be aware, high infant mortality rate, high levels of morbidity, high incidence of malnutrition and nutrition related diseases, temporary or

irreversible disabilities, low literacy rates, are some of the problems staring at millions of children under six years of age in India.

2. Against such a grim background. the Government of India formulated a comprehensive child survival and devel opment scheme drawing on the resources of the Centre, States, Voluntary Organisations and the Communities themselves. For a decade the Government has been actively implementing, improving and expanding a most ambitious and comprehensive plan to increase the survival rate and enhance the health, nutrition and learning opportunities of pre-school children and their mothers. This plan- THE INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICE S (ICDS) -- is India's gift to her own future—her own children.

3. ICDS cares for children, especially when they are below six years of age. **ICDS** also cares for pregnant women and nursing mothers residing in socially backward villages and urban slums. ICDS provides :

—Supplementary nutrition

—Health check-up

—Referral services

—Treatment of minor illness

—Nutrition and health education to women

—Pre-school education to children in the age group of 3-6 years

—Convergence of other supportive services like water supply, sanitation etc.

4. The objective behind the provision of this package of services is to bring about :

—Improvement in the health and nutritional status of children below 6 years.

—Reduction in mortality —Reduction in morbidity — Reduction in malnutrition

—Laying the foundation of proper phychological physical and social development of children

—Reduction in school drop-out rates

—Enhancement of mother's capability to look after the health and nutritional needs of their children.

5. The studies and surveys by prestigious institutions like the Planning Commission, the All India Institute of Medical Sciences, National Institute of Public Co-operation and Child Development, a number of Medical Colleges and Home Science Colleges and many academicians have established startling results so far as the welfare of children and women is concerned by implementation of 1CDS. To quote some of the findings : considerable decline in the prevalence of mal-nutrioin in children from 19.1% to 7. 8% has been observed in those blocks where ICDS is under implementation for the last seven years. The reduction in mor-tality due to severe mal-nutrition has come down from 15 % to 3%. Similarly, infant mortality rates have gone down from the national average of 110 to 88 per thousand births in ICDS

projects. These projects have also had a quiet influence on family planning as is evident from the decline in birth rates from about 35-38 to about 24-26 per thousand in ICDS projects. Significant increase in school enrolment and reduction in school drop-out fates has also been observed.

6. In Haryana we started implementing the ICDS pojects as a Central Sector scheme right from its very inception i.e. the year 1975-76. Kathura in Sonepat was the first project. Since then, we have travelled a long way. The ICDS is under implementation in 40 rural projects and 5 urban projects in the State. Out of these 45 projects, 35 are the Central S ector projects and 10 are financed by the State funds. Looking at the tremendous benefits to the society in general and women, children and members of weaker sections in particular, Government of Haryana have decided to cover the whole of rural Haryana with the ICDS projects. 57 rural blocks still remain to be covered. Haryana Government have decided to start 30 new projects during the current financial year. The remaining 27 projects would be taken up in the year 1987-88. The members may like to have some idea about the financial implications of the decision taken by the Government. Each project costs about Rs. 25 lakhs at its full fruition. The additional cost for 57 projects would roughly be about Rs. 14 crores annually. The State Government have taken this decision keeping in view the general welfare of the society which I am sure that all sections of the House will welcome. I wish to inform the members that we are presently covering about 3,00,000 children and about 50,000 pregnant and lactating mothers every day under the supplementary nutrition programme. Another 4,00,000 children and about

90,000 mothers will be provided supplementary nutrition under the new projects. The other components of the scheme would also be administered to all the sections of the village community of which the Anganwadis would be the focal points.

7. Mr. Speaker, S ir, I would like, with your permission,to tell the House that Haryana would be the first State to have covered the whole of its rural area under the ICDS by the year I987-88. We will also be the State where the percentage of State funded projects would be the highest. Sir, the ICDS was started when Ch. Bansi Lal was the Chief Minister of the State earlier. It is under his leadership again that it has been decided to bring whole of rural Haryana under the ICDS. It only proves how much does he and his Government care for the poor and downtrodden.

Thank you, Sir.

नियम 15 के अधींन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब रूल 15 के तहत मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to move --

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

That the proceedings on the items of business fixed

for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब रुल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister(Chaudhri Katar Singh Chhokar) : S ir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned

sine-die.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर माईने–डाई ऐडजर्न होगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साईने–डाई ऐडजर्न होगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समिति की रिपोर्ट पेश करना–

पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की 24वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के चेयरमैन सेठ राम दाम धमीजा कमेटी की 24वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Seth Ram Dass Dhamija (Chairman, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Twenty-fourth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1986-87.

बिल्ज–

(1) दी पंजाब आयुवैदिक एण्ड यूनानी प्रैनिटशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब हैल्थ मिनिस्टर साहब दी पंजाब आयुर्वेदिक एन्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैडक्ट एन्ड बैलीडेशन) बिल 1986 को इंट्रोड्यूस और कंसिडर करने का मोशन मूव करेंगे ।

Health Minister(Shri Goverdhan Dass Chauhan) : Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1986.

I also beg to move -

that the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज– 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज– 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज– 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

Health Minister(Shri Goverdhan Dass Chauhan) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) दी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिबा दी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मिल, 1986 को इंट्रोड्यूस और कंसिडर करने का मोशन मूव करेंगे ।

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University Bill, 1986. I also beg to move—

That the Kurukshetra University Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Kurukshetra University Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Kurukshetra University Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर खराज बाई क्लाज विचार करेगा ।

सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाजिज 2 मे 34

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाजिज 2 से 34 बिल का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(इम समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)

शडयूल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

किं शडयूल बिल का शडयूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया

Education Minister (Shrimati Sharda Rani) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (फोर्थ अमैंडमैंट एण्ड वंलीडेशन) बिल, 1986

श्री उपाध्यक्ष : अब इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (फोर्थ अमैडमैंट एन्ड बैलीडेगन) बिल. 1986 कौ इंट्रोड्यूस और कंसिडर करने का मोशन मूव करेंगे ।

उद्योग मंत्री (श्री श्रीकिशन दास) : सर, मैं दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (फोर्थ अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस करता है ।

सर, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (फोर्थ अमैडमैट एण्ड बैलीडेशन) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ–

That the Haryana General Saks Tax (Fourth Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उयाध्यक्ष : अब मदन पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 5

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न हैं –

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

उद्योग मंत्री (श्री श्रीकिशन दास) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं – कि बिल पास किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) दी मैडीकल कालेज रोहतक (कंडीशन्ज औफ सर्विस औफ टीचर्ज) बिल, 1986

श्री उपाध्यक्ष : अब एक मिनिस्टर दी मैडीकल कालेज, रोहतक (कंडीशन्ज औफ सर्विस आफ टीचर्ज) बिल को इट्रोड्यूस करेंगे और कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to introduce the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Bill, 1986,

Sir, I also move--

That the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers\ Bill be taken into consideration at once.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Bill be taken into consideration at once.

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति) : डिरटी स्पीकर साहब, पहले जो मैडीकल कालेज होता था, वह यूनिवर्सिटी के अन्डर नही होता था और इसके अपने रूल्ज थे जो 1975 में बने थे जिनको मैडीकल कालेज ऐजुकेशन रूल्ज कहते थे । बाद मे यह यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया गया । 1978 में यह वापिस ले लिया गया और फिर यूनिवर्सिटी को वापिस कर दिया गया । जो टीचिंग स्टाफ है, वह कुछ तो गवर्न होता है यूनिवर्सिटी के रूल्ज मे और कुछ गवर्नमैंट के रुल्ज से गवर्न होता

है । गवर्नमैंट अब दोनों को ही एक रूल के तहत लाना चाहती है ताकि उनकी सर्विस कंडीशन्ज एक जैसी हो । यह अच्छी बात है । ऐसा होना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यूनिवर्सिटी के कुछ रुल्ज हो और कुछ गवर्नमेंट के हो तो इनमे यूनिफार्मिटी नही रहती । कुछ की तनख्वाह ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है । तुक रूल होने चाहियें । मैं एक बात यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक बार वहां पर तुक बाईस चांसलर ऐसा था, उसने अपने घर के ही रुल्ज बनाये हुए थे । न तो वह गवर्नमैंट के ही कोई रूल्ज मानता था और न ही यूनिवर्सिटी के ही मानता था । उसको जो सूट किया, कर लिया । इस तरह गे कईयों की गलत ढंग से प्रोमोशन्ज हो गयी । यह कोई अच्छी बात नही थी । वहां पर यूनिवर्सिटी में बार–बार हड़तालें होती थी, चाकू चलते थे, नारेबाजी होती थी । यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत खराब हो गया था । इसी तरह की एक बड़ी धाधली जो उसने की थी वह सत्र को पता है । एम० बी० बी ० एस० के एडमिशन के लिये पेपर्ज किस तरह से लीक हो गये, किस प्रकार से रैस्ट हाउस में या दूसरी जगहो पर वह पेपर्ज करवाये गये और अपनी अलमारी मै पेपर रखे गए । डस तरह का काम करने वारना वहा पर वाईस चांसलर लगाया गया था । इस तरह से कैसे काम चल सकता था ? मेरा कहना यह है कि ऐसे पोलीटी– शीयन को आगे मे लगाने की प्रैक्टिस को रोका जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, मैडीकल कालेज के रूल्ज की तरह से ही हरियाणा ऐजुकैशन बोर्ड मैं भी यही हाल है । जब ज्वायंट पंजाब था, उस वक्त वहा पर

कुछ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से आन डैपुटेशन थे । जब हरियाणा ऐजुकेशन बौर्ड बना, उसमे भी कुछ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी मे आन डैपुटेशन आयें हुए थे जो आज भी बहा पर मौजूद है । उन के लिए रुल्ज ऐण्ड रैगुलेशंज और सर्विस कंडीशन्ज यूनिवर्सिटी की लागू है । वहां पर कुछ ऐम्पलाईज बोर्ड के अपने रूल्ज से भी गवर्न होते है । नरके अलावा कुछ ऐम्पलाईज सरकार के रूल्ज से भी गवर्न होते है । जब मैं वहा पर था. तो मैंने उनके लिये एक सब–कमेटी बनाई थी ताकि सब के लिये पक जैसे रूल्ज बन सके । पता नही वह फाईनेलाईज कर मकी है या नही । वहां के लिये मैं यह चाहूंगा कि ऐसा ही कोई बिल लाकर सब के लिये एक से रूल्ज बना दें । अन्त में मैं यह कहुंगा कि यह बिल अच्छा है क्योंकि इससे सब मुलाजिमों के लिये एक से रूल्ज होंगे । इसको पास कर दिया जाये ।

श्री जगदीश नेहरा (रोड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल आया है यह वास्तव मै ठीक बिल है और जरूरत के मुताबिक है क्योकि पहले मैडीकल कालेज और यूनिवर्सिटी अलग अलग थें फिर इकट्ठे हुए, फिर अलग अलग हुए और बाद में फिर एक हुए । वहां के पेम्पलाईज के अन्दर बडी बैचेनी थी क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशन्ज और रूल्ज में यूनिफार्मिटी नहीं थी जिमकी वजह मे उनको – काफी दिक्कत थी । उपाध्यक्ष महोदय, अब जो बिल बनाया गया है, डस के बारे मैं मेरा एक मुझाव है । क्लाज 3 का सब–क्लाज (3) जो है, उनके वारे में मैं अर्ज करूंगा और मन्त्री

जी से यह कहना चाहूंगा कि जो मैं सुझाव दूगा, वह ठीक रहेगा वरना फिर बाद में उनको मुसीबत आयेगी । वह शायद इस बात को फोर–सी नही कर सकेंगे । मैं आपको सब–क्लाज (3) पढ़ कर सुना देता हु । आप भी वकील है । आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और जो अमैंडमैंट मैं देना चाहता हू, वह भी आप देखेगे तो आपको पता चल जायेगा कि क्या बात है । उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 3 का सब–क्लाज (3) जो अब वनाया गया है. वह यह कहता है –

"Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be, after such rule is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, House agrees in making any modification in such rule or the House agrees that such rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने पढ़ा है, इसका कुछ मतलब ही नही निकलता है । जो भी इमं मारे को पढेगा, वह इस का मतलब अपनी समझ के मुताबिक निकालेगा । यह वड़ा ही एम्बीगुअस है । आग इन बात का अन्दाजा नही लगा सकते कि

आखिर इन्का मतलब क्या है । आप भी वकील हैं, बहुत मे माननीय सदस्य भी वकील हैं । इन क्लाज को इन्होंने गोलमोल करके रख दिया है कि पहले सैशन बैठेगा, लगातार 30 दिन का होगा अगर लगातार 30 दिन का नहीं होगा तो उसके बाद जो सैशन होगे दो या उससे ज्यादा उनमे इसे रखा जायेगा. उसके बाद मौडीफाई होगा, नलीफाई होगा । नलीफाई नही होगा तो यह होगा और वह होगा । मकसद आखिर तक समझ नहीं आता । मेरा अन्दाजा है कि यह इनको भी समझ में नही आ सकता । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इ बिल की इस क्लाज को सिम्पन सा क्यों न एडाप्ट कर लिया जाये वरना यह कर्मचारियो के लिये घातक सिद्ध होगा । यदि यह ऐसे ही पास हो जायेगा, तो इसकी इन्टरप्रैटेशन जब कोर्ट करेगी तो वह अपने ढंग से करेगी, ऐम्पलाईज करेंगे तो अपने ढंग से करेंगे, बाईस चांसलर करेगा तो अपने ढंग मे करेगा, रजिस्टार करेगा तो अपने ढग से करेगा और यदि कोई ज्यादा पढा–लिखा होगा तो किसी ढंग से भी इसकी इन्टरप्रैटेशन नहीं करेगा । मेरा कहना यह है कि ऐसे रूल्ज बनाये ही क्यों जायें? यदि हिन्दी में भी इस बिल को पढ़ा जाये तो इसके पेज 2 पर आप देख सकते हैं । कुछ माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं जो हिन्दी ही जानते हैं । वे भी इसे देख लें । इसमें लिखा हुआ है –

''3 (3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के

सदन के समक्ष जब वह सत्र मेंहो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिये रखा जायेगा । यह अवधि एक सव में या दो अथवा अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि उस सत की, जिसमें उसे ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के पूर्वोक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्रों की समाप्ति से पूर्व सदन ऐसे नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो उसके पश्चात् वह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु इस प्रकार किं ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले को गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।''

डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मनानीय सदस्य यह पढें तो वे यही महसूस करेंगे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आता । डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसे रूल क्यो बनाए जाए जो किसी की समझ में ही न आएं? मेरा सुझाव यह है कि जब रूल बनेंगे और गवर्नमैंट उनको सदन में लाएगी और रूल्ज में सदन द्वारा कोई मौडीफिकेशन होगी या नहीं होगी तो इसे सदन की इच्छा पर छोड़ दिया जाए । अगर बीस रूल वनाए गए हैं और सदन कहता है कि सोलह रहने चाहिए तो सौलह रह सकते है । मेरा सुझाव है कि इस तरह से अर्थ निकाला जाए । डिप्टी स्पीकर साहब इसमें इतना आ जाए । ''इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के

सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा ।'' अगर यह आ जाए तो बिल्कुल ठीक है । जब कल्ब बन जाएं और सदन के समक्ष रखे जाएं तो सदन को अथौरिटी है कि वह उनमे मौडिफिकेशन कर सकता है, उनको निष्क्रिय कर सकता है । मेरा सुझाव है कि इस तरह का कानून न बनाया जाए जो वहां जाकर, मौके पर जाकर इस तरह की स्थिति पैदा करे कि जिसकी जो मर्जी हो उसके मुताबिक कोई इन्टरप्रैटेशन करे । डिप्टी स्पीकर साहब, यह क्या बात हुई कि सैशन बैठेगा तीस दिन के लिए, अगर वह तीस दिन का नहीं है तो वह फिर बैठेगा और फिर उसको मौडिफाई करेगा तो वह प्रभावी होगा । डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह की भाषा लिखना कि यह होगा तो वह नहीं होगा ओर वह होगा तो यह नही होगा, ठीक नहीं है । इस तरह की भाषा लिखना लोगों को झगड़े में डालने वाली बात है । यह ऐसे खल बनाना चाहते है जो लोगों को समझ ही न आए। भाषा ऐसी होनी चाहिएं जो लोगो को सीधी तरह से समझ आ जारा । मैरी प्रार्थना है कि मन्दी महोदय मेरी बात से समहत हों हालाकि मेरा अनुमान है कि वे मानेंगे नहीं क्योंकि मानने के लिए समय चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, सही बात तो यह है कि जो मैंने सुझाव दिए हें उस तरह के रूल बनाए जाएं ताकि यूनिवर्सिटी मैं शांति हो । इस तरह के रूल बनाए जाए जिनसे यूनिवर्सिटी के टीचर्ज, स्टाफ और नौन टीचिंग स्टाफ की भलाई हो उनको झगड़े में डालने के लिए हल न बनाए जाए । मैं आशा करता है कि मैंने

जो सुझाव दिए हैं और जो बिलकुल सही है उनको मन्त्री जी मानेगे ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेहरा जी ने जो आपत्तियां उठाई हैं वे केवल आपत्ति के लिए उठाई हैं और इसमें कोई तथ्य नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें रूल मेकिंग पावर तो है और यह साधारण बात है । जव लेजिस्लेटिव पावर्ज इस तरह से लेते हैं तो सरकारी श्री अधिकारी रूल्ज बनायेंगे । यह लेजिस्लेचर की पावर है । अब इसमे रूल मेकिंग पावर ले ली कि अधिकारी रूल्ज बनाएंगे और तुरन्त अभैम्बली मे पडा करेंगे । जैसे ही असैम्बली बैठेगी तीस दिन के लिए, एक अधिवेशन मे या दूसरे अधिवेशन में सक्सैसिबली, तो पहला मौका अधिकारी लेंगे उसको अमैम्बली मे पेश करवाने का अगर असैम्बली पास नही करती

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, यह कहते है कि सदन तीस दिन के लिए बैठेगा । अगर बजट सैशन आएगा तो वह पाच दिन चलेगा । इसमें तीस दिन लिखा हुआ है इस बारे में मन्त्री जी बताए।

चौधरी कटार सिंह छोकर : डिप्टी स्पीकर साहब, आम तरीका है कि कोई भी रूल्ज जब बनाते हैं और अधिकारियों को यह पावर्ज डैलीगेट की जाती हैं तो उन्हें विधान सभा में रखना जरूरी है, हर रूल्ज के लिए यह साधारण नियम है कि जब भी

असैम्बली बैठती है ओर जब भी मौका मिले, रूल्ज विधान सभा में रखे जाएं । यह जो रिप्रोड्यूस किया गया है यह जनरल बात है । डिप्टी स्पीकर साहब, इनको आपत्ति यह है कि मान लो असैम्बली पास नही करती या मौडिफाई नहीं करती तो क्या होगा? मेरा कहना यह है कि वही लागू होगा जो असैम्बली पास करेगी या मौडीफाई करेगी । तीसरी बात इन्होंने कही कि इंटरवीनिंग पीरियड में रूल्ज बन गए, असैम्बली ने कोई रूरल मोडीफाई कर दिया या कोई रूल रद्द कर दिया तो फिर क्या होगा? इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि वह रूल उस अर्से में लागू होंगे, आगे से लागू नही होंगे । यह ऐसी इवेन्चुएलिटी के लिए है कि रुल बन गए और पता नही कि असैम्बली को कितनी देर लग जाए उनको ऐप्रूव करने मे तो इन्टरवीनिंग पीरियड में वे रूल लागू होंगे, आगे से रूल लागू नहीं होंगे । आगे से वे रूल ऐसे ही लागू होंगे जैसे असैम्बली मौडीफाई करती है या असैम्बली उनमें कोई सुधार करती है । इसमें कोई ऐम्बीगुइटी नही है और इसमे कोई दिक्कत की बात नहीं है । अधिकारी कोई इसमें चीज उठाकर नही ले जाएगे । इस इटरवीनिग पीरियड में यह फैसीलिटेट करने के लिए है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सवाल तो नहीं पूछ सकता लेकिन एक इवेनचुएलिटी आपके सामने रखता हूं और नेहरा साहब से ही पुख्ता हूं कि फर्ज किया कि असैम्बली का मात्र भर या छः महीने रूल्ज ऐप्रूव करने का मौका न मिले और इस बीच किसी ऐम्पलाई की सर्विस कंडीशन का कोई औकेजन आ जाना है, कोई एम्पलाई रिटायर होता है उसको कोई बैनीफिट्स देने हैं तो वे कैसे गवर्न

होंगे, उनका कैसे निपटारा होगा? इससे खला पैदा हो जाता है । वेट नहीं की जाएगी कि रूल्ज असैम्बली से छः महीने के बाद पास होंगे या माल के बाद पास होंगे और उस रिटायर होने वाले ऐम्पलाई को यह कह दिया जाए कि आप तब तक रिटायर न हो और तब तक आपको कोई बैनीफिट नहीं दिए जाएंगे क्योंकि रूल्ज नहीं है ।

श्री जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री जी इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । इनकी समझ में कुछ आया नहीं है और समझ न आने की वजह मे यह गुमराह कर रहे है । उपाध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण दे रहे हैं कि अगर रूल्ज पास न हों सब तक के लिए यह है । डिप्टी स्पीकर साहब, जब रूल पास होंगे तभी लागू होंगे और अगर पान नहीं होंगे तो लागू नहीं होंगे । इस तरह से सदन को गुमराह करने की जरूरत नहीं है । अगर मन्त्री जी को समझ में नहीं आया है तो कह दें कि हम तो ऐसे ही पाम करेंगे और हम मान जाएगे । इस तरह की बात न कहें जो खुद की समझ मे न आए ।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए० सी० चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनैट की ज्याएंट रिस्पौंसिबिलटी है और सरकारी तौर पर किसी भी प्रस्तावना पर अच्छे ढंग से विचार करना हमारे लिए अनिवार्य है और यह जो संशोधन आया है और जिस क्लाज 3 पर इस वक्त बहस चल रही है मैं समझता हु कि इसमें नीयत गल्त नही है लेकिन जौ लैग्वेज इसमें बरती गई है

वह इतनी पेचीदा हो चुकी है जिसका वास्तविक रूप में दोनों तरफ अर्थ निकाला जा सकता है । वैसा इन्होंने शुरू में कहा है

"Every rule made by the State Government under this section shall be laid: as soon as may be, after such rule is made..... अब इसमें यह बात तो ठीक है कि जो सन्न बनाया जाता है वह असैम्बली के सामने जल्द से जल्द रखा जाए लेकिन उसके बाद का जो पोरशन है वह एक ऐसी ऐम्बीगुइटी क्रिएट करता है जो ठीक नही । इममें कहा है कि विधान सभा सैशन अगर तीस दिन एकमुश्त नहीं हो तो किस्तों में हो । दो किस्तों में नहीं तो तीन किस्तो में हो । मैं समझता हूं कि जो इसके पीछे भावना है वह बहुत ठीक है लेकिन अगर इसको इस तरीके से संशोधित कर दिया जाए कि जो भी हाल ऐसा बनता है, वह subject to the approval by the Vidhan Sabha in its next session होगा । यह औबलीगेटरी हो और विधान सभा जो भी पारित करे वह फाईनल हो, बजाए इसके कि यह रखा जाए कि मैशन की तीस दिन की अवधि तृक सज में और अगर एक मद में नहीं तो दो या भर्ता–धक सक्सैसिव सैशन में पूरी हो सकती है । इसका मिसयूज हो सकता है । मैं कहता हुं कि इसमें से एक मन से दूसरे सक्सैमिव सब वाली बात हटाकर के यह कर दिया जाए कि जो भी रूल गवर्नमैंट द्वारा बनाया जाता है वह विधान सभा द्वारा अगले सब मे फौरन पास करवा लिया जाए। इससे किसी किस्म की ऐम्बीगुइटी नही रहेगी और इस बिल की जो मन्शा है, वह भी पूरी होगी । ऐम्पलाईज के लिये जो खदशा पैदा हुआ है,

वह भी दूर हो जाएगा और इंटरप्रैटेशन भी ठीक होगी । बस इतना ही मैं इस बारे मे कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

चौधरी कटार सिंह छोकर : डिप्टी स्पीकर साहब, कभी ऐसा ओकेजन भी आ सकता है कि शौर्ट पीरियड के लिये सैशन आये और इस तरह का बिजनैस उस वक्त टेक अप न किया जा सके । इसलिये इस तरह के बिल को लाने की हमने आवश्यकता महसूस की ताकि इस पर खुल कर विचार किया जा सके । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

That the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मदन बिल पर क्लास बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिह छोकर) : सर, मैं प्रस्ताव करता हु––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(5) दी पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1986

Mr. Deputy Speaker : Now, the :Local Self Government Minister will introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill. 1986, and also move for its consideration.

Minister of State for Local Government (Shri A . C. Chaudhry) : Sir, I beg to introduce the Punjab 'Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1986.

I also beg to move—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment)

Bill be taken into consideration at once.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां पर जेरे गोर है, यह बहुत अच्छा बिल हैं । मैं इस की हिमायत में खड़ा हुआ हूं । इसमें मुलाजमो के बारे में जिक्र किया गया है कि जो इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों के मुलाजम सरप्लस हो गये हैं उनको म्युनिसिपल कमेटियों में ऐबजौर्ब किया जा रहा है । यह बड़ा अच्छा काम है जो सरकार करने जा रही है । लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है कि जो इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्टों का पैसा है, वह भी साथ ही इधर ट्रान्सफर कर दिया जाए ताकि वह पैसा म्युनिसिपल कमेटियों के काम में लाया जा सके । अगर सरकार इस सुझाव को मान ले तो और भी अच्छी बात होगी ।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए० सी ० चौधरी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मक्कड साहब की यह बात ठीक है कि बहुत अर्से से इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों का काफी सारा पैसा अन–प्रोडक्टिव पडा हुआ था और इन ट्रस्टों के जो ऐम्पलार्ड्ज थे, वे खाली बैठे तनख्वाहें ले रहे थे । इस बिल के लाने का मुद्दा यही है कि उन ऐम्पलाईज को म्युनिसिपल कमेटियों मे ऐबजौर्ब करके उन से कोई

काम लिया जाए । जहां पर सम्भव हुआ हमने लोगों को ऐवजौर्ब किया है और जहां पर सम्भव दिखाई नही दिया वहां हम उन्हें कही न कहीं ऐवजौर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ एक और बात मैं हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता बहू कि 21 इम्प्रूवमैंट ट्रस्टो में से 6–7 की खर्च की ऐनहान्समैट सम्बन्धी इन्फर्मोशन हमे आ चुकी है और बाकियों की इन्फर्मेशन अभी आने को है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।) स्पीकर साहब, इस बारे में सरकार काफी चिन्तित है और इसका कोई न कोई तरीका निकाला जाएगा ताकि यह पेमैन्ट की जा सके । दूसरा जो मैम्बर साहब का सुझाव था, उस पर हम विचार कर रहे हैं ताकि ट्रस्टों के पैसे का सदुपयोग हो सके ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) : स्पीकर साहब, यह जो बिल यहां पर जेरे गौर है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हु आ है । सरकार ने यह एक बड़ा नेक कदम उठाया है । अक्सर जव कोई बौडी डिजौल्व होती है तो उसके ऐम्पलाइज बेसहारा हो जाते हैँ और उनकी सर्विसिज सुओ–मोटा अपने आप ही टर्मीनेट हो जाती हैं । इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि सरकार ने यहां पर भी ऐसा दलेराना कदम उठाया है, जिसकी मिसाल कहीं भी नही मिलेगी और इस के तहत इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्टों के जितने ऐम्पलाइज सरप्लस हुए हैं, उनको सरकार म्युनिसिपल कमेटियों में ऐबजौर्ब करने जा रही है । इसके लिये हमारी सरकार और

खासतौर पर हमारे योग्य व ईमानदार मिनिस्टर महोदय सचमुच में बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐम्पलाइज की बहबूदी के लिये, उनके भले के लिये यह बिन यहां पर रखा हूँ । मैं इसका अन्त में फिर अनुमोदन करता हुआ आपका धन्यवाद करता हुं क्योकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town Improvement (Haryafia Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बनै ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पाम किया जाग ।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ए ० सी ० चौधरी) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ––

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है––

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1185 पर आधे घंटे की चर्चा–

राज्य में कपास के उत्पादन सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अब श्री जगदीश नेहरा प्रश्न संख्या 1185 पर हाफ एन आवर डिस्कशन शुरू करेंगे ।

12.00 बजे ।

श्री जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी सवाल किया था कि मन्त्री जी बताएं कि कौटन की फसल के बारे मैं उनके क्या विचार हैं और उन्होंने जो जवाब दिया था उस पर

आपने भी ध्यान दिया होगा कि वह संतोषजनक नही था । मन्त्री जी ने आज काल अटैन्शन मोशन के उत्तर में जो कीमतों की लिम्ट दी, उसने कपास की स्पोर्ट प्राइस के बारे में गलत ब्यानी की है ।

श्री अध्यक्ष : नेहरा साहब, आप सीजंड मैंबर हैं । आप 'गलत ब्यानी' का लफज न कह कर 'ठीक ढंग से' या कोई और लफज कह सकते हैं । मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हू ।

श्री जगदीश नेहरा : ठीक है जी । स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने देसी कपान की स्पोर्ट प्राइस 345 रुपए क्विंटल बताई है और जो एच० 777 है उसकी 430 रुपए बताई है जबकि वास्तविकता यह है कि देसी कपास की स्पोर्ट प्राइस 415 रुपए है और 777 की 430 रुपए ठीक है । अब आप खुद ही देख लें । मैं तो इसे गलत ब्यानी ही कहूंगा, ठीक ब्यानी कैसे कह सकता हूं । कपास की फसल सिरसा, हिसार, भिवानी और जीन्द जिलों में अधिकतर हैं । वहां के किसानों का बुरा हाल है । किसान अपनी कपास की ढेरी गड्डे या ट्राली में डाल कर लाते हैं लेकिन बाजार में वह ढेरी 15– 15 दिन तक पडी रहती है उसको कोई भी उठाने वान।– नहीं है । मार्किट कमेटी को जब इस बारे में कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हम तो तीन दिन के अन्दर बोली कर देते हैं । उसके बाद पोजीशन यह होती है कि उस ढेरी की तुलाई 8–8 दिन तक नहीं होती । इसका कारण पूछा जाता है तो खरीदने वाला कहता है कि मेरे पास इतना माल आ गया है कि

तोला नहीं है । जितना माल पिछले साल आया था इस मान भी करीब करीब उतना ही माल आया है । ऐसी बात तो है नहीं कि पिछले साल एक लाख गांठें आई हों और इस साल तीन लाख गांठें आ गई हैं । सी० सी० आई० का धंधा यह है कि वह लोगों को देसी कपास का 365 रुपए भाव दे रही है । इसका बहाना वे लगाते हैं कि इसमें नमी ज्यादा है । ऐसी बात नहीं है कि किसान कपास को धक्के से खींच लाया हो, कपास तो अपने आप उतरती है । देसी कपास और 777 के नमे में यह अन्तर है कि देसी कपास को अगर टाइम पर न चुना जाए तो वह गिर जाती है लेकिन नमो नहीं गिरता । इसलिये देसी कपास के लिए भी यह कहना कि इसमें नमी है और हम इसी वजह से स्पोर्ट प्राइस पर नहीं लेते ठीक नहीं है । जब इसकी स्पोर्ट प्राइस 415 रुपए है तो यह इस रेट पर क्यों नहीं ली जाती? मार्किट कमेटियों और सी० सी० आई० को हरियाणा सरकार की हिदायत होनी चाहिए कि किसान जब भी अपनी फसल लाए तो उसी समय उससे स्पोर्ट प्राइस पर खरीद लिया जाए । पीछे मुख्य मन्त्री जी ने आदेश कर दिया था कि यह जो कपास पड़ी है इसको जल्दी खरीदो लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । बेहतर तो यही रहेगा कि किसान के घर पड़ी कपास या नमो वहीं से खरीदा जाए और उसी कीमत पर खरीदा जाए जो सैट्रल गवर्नमैंट की स्पोर्ट प्राइस है । यह नहीं कहना चाहिए कि कपास में नमी है । मैं समझता हूं कि इसमें हरियाणा सरकार की कमजोरी है, उसको सी० सी ० आई ० को हिदायत देनी चाहिए । आज सिरसा, हिसार, भिवानी और

जीन्द की मडियो में किसान तबाह हो रहे है । अगर एक किसान दस क्विंटल कपास मंडी में लाता है और वह 15 दिन तक वहा पड़ी रहे तो उस कपास को डंगर भी खराब करेगे, उसमें मे कुछ चोरी भी हो जाएगी । यानी उसकी हालत बिगड़ेगी सुधरेगी नही । ऐसी स्थिती में सरकार का फर्ज बनता है कि किसान की फमल जिस दिन आए उसी दिन उसे स्पोर्ट प्राइम पर ने लिया जाए । सरकार इस मामले में ढील दे रही है । मार्किट कमेटियों को आज किमी किस्म की भी कोई हिदायत नहीं है । पीछे जब गेहूं के बारे में हिदायत हुई थी तो गेंहू उसी समय उठा लिया गया था । जब पीछे उठा लिया गया था नो वह भी तोल कर ही उठाया गया था । आज वे तोलने वाले कहां चले गए हैं (इस बारे में मैं दरख्वास्त करूंगा कि किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसे रोका जाए । उनकी फसल उनके घरों में जाकर स्पोर्ट प्राइम पर खरीदी जाए ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर साहब, सब से पहले तो मै आपका धन्यवाद करता हूं क्योकि आपने खुद ही सजैस्ट किया था कि इस पर आधे घण्टे की डिस्कशन होनी चाहिए । आज सौभाग्य से स्पीकर की कुर्सी पर भी किसान बैठा हए, मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर भी किसान बैठा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी किसान ही है तथा इस हाउस के मैम्बरों की मैजोरिटी भी किसान ही है । जैसे नेहरा साहब ने कहा यह बात ठीक है कि मंडियो मे कपास कई दिनों तक पड़ी रहती है विसकी वजह से किसानो को बड़ी

दिक्कत होती है । किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं । वह अनाज पैदा करता है । किसान अगर सुखी है तो व्यापारी भी सुखी है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सारा ससांर सुखी है । किसान की जो कास्ट औफ प्रोडक्शन है वह ज्यादा आ रही है और उसको कीमत कम मिल रही है । हुमारे किसान हमारे मुख्य मन्त्री जी से बड़ी आशाएं रखते है । हमारे मुख्य मन्त्री जी ने उनकी बहुत सो आशाए पूरी भी की है और उनको बड़ी भारी सुविधाएं दी है । अगर मैं इस बारे में सारी बातें कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा । सारे हरियाणा की जनता को इस बाते में पता है । यह सरकार आगे भी किसानों की भलाई के काम करेगी । स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मंडियों में जहां अनाज जाता है जैसे कौटन जाती है, गेहूं जाती है उनकी कई कई दिन तक बोली नही होती और किसान 8– 10 दिन तक वहां इन्तजार करता रहता है । इस बारे में मेरा सुझाव है कि देहातो में परचेज मैटर, सव यार्ड और मंडियां ज्यादा खोल दी जाएं । मैंनें अपने हल्के के गांव खेड़ी जालमा में एक परचेज सैंटर खुलवाया था । वहां पर किसान बहुत ज्यादा गेहूं और कपास लाए । ऐसा करने से यह फायदा होता है कि बोली जल्दी हो जाती है । स्पीकर साहब यह बात ठीक है कि मार्किट फीस की चोरी होती है लेकिन मुझे एक बात का पता चला है जिसे मैं हाउस को बताना चाहता हूं । मार्किट बोर्ड के जो सीनियर अफसर हैं जैसे सी ० ए० हैं और संक्रेटरी हैं उन्होने सरप्राइज चौकिंग की है, जिससे चोरी बन्द हुई है । यह एक बहुत अच्छी बात हुई है ।

अच्छे अफसर हमेशा अच्छे काम करते है । अध्यक्ष महोदय, मैं सलाह दे रहा था कि अगर गावो में ज्यादा परचेज सैंटर खोल दिए जाए तो यह प्रौब्लम हल हो सकती है । जो प्रोक्यूरिंग एजैसींज हैं, जो परचेज करती हैं उन के साथ बैठ कर इस बारे में बातचीत हो सकती है । फूड एंड सप्लाइज डिपार्टमैट मंडियां अलाट करता है । जैसे पहले जिक्र आया था कि डायरैक्टर ऐग्रीकल्चर, वकफ बोर्ड को मुनाफे में ने आए हैं, आशा है कि इसमें भी वे अपना योगदान देंगे । उनसे बात करके एक कमेटी बना दी जाये और परवेज सैटर्ज भी ज्यादा से ज्यादा खोल दिए जाए। उससे यह फायदा होगा कि जल्दी ही कपास उठ जाएगी और किसानों को कई दिन तक मण्डियो में इन्तजार नहीं करना पड़ेगा । उस मण्डी के आम पास के इलाके को और उस प्रिया को काफी फायदा हे । यह मेरा सुझाव है । मै ज्यादा न बोलते हुए यह कहता हुं कि यह किसानों की सरकार है और किसानो की रखवाली करने वाली सरकार है । इतनी बात कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हू क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, वैसे तो हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने किसानों को बहुत राहत दी है लेकिन फिर भी हरियाणा के किसान दु:खी हैं । हर साल कपास मण्डियो में आती थी इस साल भी आई है । मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी चेंजिज हो गई जिसके कारण कपास मण्डियों में गंदी जगहो पर पड़ी रही है ?

क्या मण्डियों में कपाम डालने के लिए जगह नहीं थी और किसान भी 15 – 15 दिन तक इन्तजार करते रहे कि उनकी कपास वहां से बिक जाए? दूसरा मेरा सवाल है कि पहले आढ़ती और इस्ट्रीय– लिस्टस आदि आपस में मिल करके जनके पास अच्छी कपास होती थी उनके घरों में जा करके कपास का सौदा तय कर लेते थे और वह कपास सीधी इंडस्ट्री में आ जाती थी । क्या वजह है कि सरकार ने इस साल यह हुकम दिया कि सारी कपास मण्डियों में आए ? तीसरा मेरा सवाल है कि कपास 130 रुपए प्रति क्विंटल भी बिक रही है और 365 रु ० क्विंटल भी बिक रही है । दूसरे अनाज की प्राइस एक रु पया या दो रुपया ज्यादा होगी लेकिन कपास रुल रही है । एक तरफ इसकी स्पोर्ट प्राइस 430 रुपए क्विंटल है और दूसरी तरफ 365 रुपए क्विंटल है यह कितना डिफरैंस है ? मैं मंत्री महोदया में जानना चाहुंगा कि क्या सरकार कपास की प्राइस निर्धारित करेगी कि किस वैरायटी की कपास का मूल्य क्या होगा और किस वैरायटी की कपास का मूल्य क्या होगा? इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं चूंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष मोदय । जब 1947 मे भारत को आजादी मिली थी, उस समय हिन्दुस्तान में अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अनाज या कपास पैदा नहीं होती थी और कारखाने ते थे ही नहीं । गांधी जी ने ऐजीटेशन चलाया था जिसकी वजह से लंकाशायर के मारे मिल फेल हो गए थे ।

हिन्दुस्तान मे जो कच्चा माल होता था वह सारा वहां जाता था और वहां से कपड़ा बन कर हमारे यहां आता था । अब सिचुएशन चेंज हो गई है । हिन्दुस्तान के किसानों को सरकार ने सुविधाएं दी । किसोनो को पानी मुहैया हुआ जिसकी वजह मे प्रोडक्शन बड़ी । स्पीकर साहब, प्रोडक्शन भी बढ़ गई है और क्वालिटी भी बढ़ी है । लेकिन आपको मालुम है कि पहले लौंग स्टेप्ल कौटन हिन्दुस्तान में बाहर से आता था और शौर्ट स्टेपर कौटन भी इम्पोर्ट किया जाता था लेकिन पिछले 8–9 साल से इस देश में सिचुएशन चेंज हो गई । अब स्टेप्ल कौंटन तो हर साल ऐक्मपोर्ट होती है । लेकिन मीडियम स्टेपर कौटन नार्थ इंडिया में काफी पैदा होता है । खास करके हरियाणा और पंजाब में इसकी पैदावार अधिक होती है । यह पिछले 4–5 साल से काफी मात्रा में एक्सैस हो चुका है जिसकी वजह सै कपास की प्राइसिज भी कैश हुई हूँ । अनफार्चुनेट बात यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो किसानों की मदद करने के लिए उस सरकार की तरफ से सीरियसली प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जितना हम किसानों की भलाई के बारे में अपने भाषणों में कह देते हैं या जिन प्रयासों का हम प्रचार करना चाहते हैं । असल बात यह है कि हमारी इकोनोमी और हमारे सारे सिस्टम को पूंजीपतियों ने काफी कंट्रोल किया हुआ है औंर हम जाने अनजाने किसी भी बात से उस पालिसी के नीचे आ जाते हैं । अव आप देखें कि जिस वक्त कपास की कमी हो उन वक्त कपास बाहर से मंगाई जाए तो बात ठीक है लेकिन जब हमारे देश में कपास ऐक्सैस है उसके बावजूद

भी फौरन कंट्रीज से मगाई जाए यह बात ठीक नही हैं । जो सिंथैटिक फाइबर है वह इम्पोर्ट होता रहा है और आज भी आप कितने ही अखबारों में पढ़ते हैं कि इम्पोर्ट के अलावा अरबो रुपए के सिंथैटिक फाइबर की समगलिंग होती है । इसके अलावा, स्पीकर साहब, आरको मालूम है कि जे० के० सिंथैटिक वगैरह वगैरह कई कारखाने हमारे देश में लगे थे जिन्होंने इस कंट्री में भी सिंथेटिक फाइबर पैदा करना शुरू कर दिया है । यह किसानों के इंट्रैस्ट के बहुत खिलाफ है । हमारा देश कृषि–प्रधान देश है लेकिन जापान, जो कृषि प्रधान देश नहीं है जहां पर इंडस्ट्रीयलाडजेशन बहुत ज्यादा है, हम तो हम मामले में बैकवर्ड है, वहां बहुत अच्छा सिस्टम है । स्पीकर साहब, आप तो बहुत मुल्को में गए हैं । आपनें देखा भी होगा कि जापान में सब्जियों से लेकर हरेक ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस की प्राईस फिक्स की हुई है और जो प्राईस फिक्स की हुई है उसी प्राईस पर वहां की गवर्नमैंट उसे खरीदती है । कई केसिज सें ऐसा भी होता है कि जापानी गवर्नमैंट उन प्रोडक्टस को आधे दामों पर बाहर भी भेजती है । इसका मतलब यह नहीं कि किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती । उन्हें पूरी कीमत मिलती है क्योंकि 50 परसैटं सबसिडी देकर वहां की गवर्नमैंट उसको खरीदती है । इस देश में‘ 70 परसैटं किसान हैं उनके पास इतनी जमीनें भी नही है । स्पीकर साहब, बड़े किसान तो रहे ही नहीं क्योंकि सीलिंग ऐक्ट आ गए, गिने चुने लोगों ने ही डिफरैटं तरीके से जमीनें रखी हुई हैं । हरियाणा के अन्दर बहुत से लोग ऐसे रह गए हैं, लगभग 90 परसैट लोग ऐसे

हैं जिनके पास पांच एकड से कम जमीन है । उन लोगो को कम से कम इतनी सुबिंधाए तो जरूर होनी चाहिए कि वे अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल सकें और उनकी ऐजुकेशन का भी ख्याल रख सकें । अनफार्यु– नेटली हिन्दुस्तान का किसान अभी तक आगेनाइज नही हुआ है । आग मार्किट में जाए । मैं किसी वर्ग का नाम नही लूंगा क्योंकि शायद यह हमारे पोलिटिकल कैरियर के खिलाफ पड़े । आज जो बूट पालिन करने वाले है उनकी यूनियन है, नाईयों की यूनियन है । आज से 6 माल पहले जब हम वाल कटवाते थे, तो दो रुपए रेट हुआ करता था लेकिन आज पाच रुपए रेट कर रखा है । कपास की प्राईस आज से 12 साल पहले 500 रुपए पर क्विंटल थी और आज 500 रुपए के हिसाब मे भी नही बिक रही है । आप कोस्ट औफ लिविंग देगें और हरेक चीज की प्राईम को इनक्रीज देखें । हमारी यरकार क्या कर रही है? मैं मानता हू कि हरियाणा सरकार इस मामले में स्पैशल कुछ नही कर सकती क्योंकि प्राईस का कंट्रोल केन्द्रीय सरकार के हाथ में है । सैट्रल गवर्नमैंट में किसानों की मदद करने के सी० सी ० आई० क्रिएट की गई थी, उसको मिनिस्ट्री आफ ऐग्रीकल्चर के नीचे होना चाहिए थी लेकिन उसको किया गया मिनिस्ट्री आफ कौमर्स के नीचे । इससे साफ जाहिर होता है कि उसको मिनिस्ट्री आफ कौमर्स के नीचे इसलिए किया गया ताकि काम– शियल एस्टेटस की मदद की जा सके । क्यों न सी० सी० आई० मिनिस्ट्री ओफ एग्रीकल्चर के नीचे होती और क्यो न सी ० सी ० आई० पर दबाव दिया जाए कि वह स्पोर्ट प्राईस पर ही किसानो से उनकी

उपज खरीदे और 'जितनी किसी लौट में क्वालिटी डाउन हो उसके अनुपात से उनकी प्राईस केम कर दी जाए । लेकिन होता क्या है ? जो स्पोर्ट प्राईस है? वह किसी किसान को कभी नहीं मिलती । मंत्री महोदया के पाम शायद रिकार्ड हो । मण्डियों मे जितनी कपान बिकती है, उसमें सें 430 रुपए के भाव पर शायद 100 ढेरियों में से एक ढेरी बिकनी होगा । कपास एक ऐसी आइटम है जिसको मंडी में ले जाने से वहुत कष्ट होता ई । गेहूं को तो आसानी से मंडी में ले जाया जा सकता है लेकिन कपास का फैलाव ज्यादा होता है और वेट कम होता है । उसको एक बार तो किसान अपने कोठे में से बाहर निकालता है और मंडी में ले जा कर डालता है फिर वहां से तुला कर आगे डालता है । एक बात माननीय सदस्यों ने बताई है कि 10– 10 दिन तक कपास की बोली नहीं होती है और जब बोली हो जाती है तो 10 दिन तक उसको तोलने वाला नहीं आता है । इसके अलावा स्पीकर साहब, आपको पता है कि आपके एरिया में धान की प्रोक्योरमैट में भी' हेरा 'फेरी होती है । यह जो सिविल सप्लाई का महकमा है इसके आफिसर मिल जुल कर ऐसा करते हैं । कई– बार सदन में भी ऐसी बातों का जिक्र आया है और हमे प्राइवेटली भी पता लग जाता है कि जब प्रोक्योरमैंट होती है, तो आफिसर साहेवान और एजैंट्स मिल करके किसानों को टीज करते हैं । सीकर साहव, जब प्राईस ऊंची होती है तब कोई प्रोब्लम नहीं होती । उस वक्त तो व्यापारी भी गांवों मे जाते हैं और बारगेनिंग करके माल खरीद कर ले आते हैं और जो मार्किट फीस होती है उसको जमा करवा

देते हैं । समस्या तब आती है जब माल कीं शौर्टज हो और प्राइस गिर जाए या एक्सैस प्रोडक्शन हो जाए लेकिन एक्सैस प्रोडक्शन तो आज हमारे देश में नहीं है । क्योंकि हमारे देश की पापुलेशन? बढ़ गई है आज कपास से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है । मंत्री महोदया ने कहा था कि करोड़ों रुपया एच ० ए ० यू ० को एज ए ग्रांट दिया हैं ताकि वह कपास की कोई अच्छी वैरायटी निकाले । यह बात ठीक है कि पिछले 5– 7 साल मे 777 कपास की वैरायटी इम्प्रूव हुई है लेकिन वह वैरायटी भी नई नहीं है । गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एक किसान ने भी एक वैरायटी निकाली थी जिसको बिकानेरी कपास कहा जाता है । लेकिन उसमें भी कोई खासे बात नहीं है । एच ० ए ० यू ० ने अब तक गेहूं की दो तीन वैरायटी अच्छी निकाली हैं लेकिन कपास के. अन्दर उनसे न तो कोई हाइब्रिड अच्छा आ पाया है और न ही कोई अच्छी वैरायटी इम्प्रूव हो पाई है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक तो सैट्रल गवर्नमैंट को वह प्रैसराइज करें कि सिंथैटिक फाइबर की प्रोडक्ट पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं और उसकी प्रोडक्शन रिड्यूस की जाए ताकि हिन्दुस्तान का किसान अपनी प्रोड्यूस की पूरी कीमत ले सके । दूसरी बात है कि जो स्पोर्ट प्राइस है उससे कम मंडियों में हमारे किसानों की कपास न बिके और यदि किसी कपास की ढेरी को रिजैक्ट करना है तो हर मंडी में किसान और व्यापारियों को मिला कर एक कमेटी बना दी जाए जो रिजैक्ट किए हुए माल को देखे कि कितनी परसैटं प्राइस उस रिजैक्ट माल की मिलनी चाहिए । यह काम किसी एक औफिसर की जजमैंट पर

नहीं छोड़ा जाना चाहिए । वे यह कहते हैं कि यह माल सब स्टैण्डर्ड है, हम इसे नहीं खरीदेंगे । आर्बीट्रेटर्ज किसानों की बैटरमेंट के लिए होते है लेकिन कुछ आफिसर्ज बेईमान होते हैं जो इन्फल्यूनशियल आदमियों के साथ मिल कर किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि सभी आफिसर्ज बेईमान हैं । इन्फल्यूनशियल आदमी पहले इन आफिसर्ज से मिल कर किसान की ढेरी को रिजैक्ट करा देते हैं और कम रेट पर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में उसी ढेरी को उन्हीं औफिसर्ज से मिल कर स्पोर्टस प्राईस पर उठवा देते हैं । इन चीजों को रोकने के लिए जहां पर छोटी बडी मण्डियां या प्रोक्योरमेंट सैन्टर्ज हैं वहां पर कोई न कोई सीटीजंज कमेटी अवश्य होनी चाहिए जो यह देखे कि किसान को जो प्राईस कम औफर की जा रही है वह वाकई ही ठीक बिना पर की जा रही है या वैसे ही औफिसर्ज की मिली–भगत की वजह से की जा रही है । मैं इन शब्दों के साथ दरख्वास्त करूंगा कि किसानों के इन्ट्रैस्टस को वाच किया जाए क्योंकि वह बेचारा डिस–आर्गेनाइज्ड है । पावटी की वजह से इनका कोई आर्गेनाइजेशन नहीं है जिसकी वजह से इन की ऐक्सप्लायटेशन होती है । उस ऐक्सप्लायटेशन को, हम लोग, जो यहां पर चुनकर आये हैं, रोके । यह हमारा सब का दायित्व है और फर्ज है कि हम उस ऐक्सप्लायटेशन को खत्म करें और हम किसानों की पूरी रक्षा करें ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, कपास के बारे मे जो बहस चल रही है उस पर काफी सदस्यों ने सुझाव दिए हैं । इस पर मैं भी अपने सुझाव देना चाहूंगा । यह खामें बात है कि जब किसान मण्डी में अपनी कपास लाता है तो वह चोरी हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई नए सुझाव दें । जो सुझाव आ चुके हैं उनको रिपीट न करें ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, सरकार इस बात की तरफ अवश्य ध्यान दे कि मण्डी में कपास की जो चोरी हो रही है वह कैसे रोकी जाए । इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो किसान अपनी कपास मण्डी में लाने की बजाये कारखाने में ले जा का बेचना चाहता है उसकी कपाम की बोली तो घर पैर हो जाये और कपास को कारखाने में तोल लिया जाये । जो कपास किसी कारखाने मैं जाये उसकी मार्किट फीस के लिए मार्किट कमेटी के आदमी को कारखाने में बैठा दिया जाये ताकि मार्किट फीस की भी चोरी न हो सके । ऐसा करने से एक तो किसान की कपास चोरी होने से बच सकेगी, दसरे उसका जों समय मण्डी मे खराब होता है वह बच सकेगा और तीसरे उनकी कपास मण्डी की बजाये कारखाने में ही तुल जायेगी । यदि ऐसा कर दिया जाता है तो डससे किसानों की बहुत सारी दिक्कत समाप्त हो सकती है । इन शब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

ठाकुर बहादुर सिंह : स्पीकर साहब कपास के जिस प्रश्न पर बहन चरर रही है वह श्री जगदीश नेहरा जी ने रखा है । मंत्री जी ने इस प्राप्य के पहले भाग का जवाब तो ठीक दिया है और बताया है कि हम प्रोडक्शन चाहे वह कौटन की फसल हो या और दूसरी फसल हो, वढ़ाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरे भाग का उत्तर कुछ 'ना' के बराबर है । स्पीकर साहब, सब को पता है कि कौटन पैदा करने पर जो लागत आती है वहू दूसरी फसलो से अधिक है । अगर मत्री जी पूछना चाहें तो मै वह भी बना सकता हु । गक एकड़ में कौटन पैदा करने पर 1500 रुपये खर्च आता है जबकि उसे सिर्फ 1825 रुपये ही रिटर्न के रूप में मिल पाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि उसे सिर्फ 300 रुपये फी एकड ही बचता है । कौटन पर दूसरी मसलों की बजाये सबसे कम मार्जिन किसान को मिलता है । किसान को बाजरे की फसल पर भी एक एकड पर 1000 रुपये से ज्यादा का मार्जिन मिल जाता है जबकि कौटन फर सिर्फ 300 रुपये ही मिल पाता है । सरकार ने अपनी तरफ से काफी कोशिश करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया है लेकिन उसकी मार्कीटिग के लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया है और न ही कोई सहूलियतें किसानों को इस दिशा में खास दी है । किसान आज के दिन अपनी फसल को मण्डी से उठवाने के लिए मण्डी में 15–15 दिन तक पड़ा रहता है 1 उसको जो फायदा मिलना होता है वह उसका मण्डी में ही रोटी वगैरा खाने पर समाप्त हो जाला है । आढ़ती जो हैं वे किसानों की कौटन की बोली ठीक नही होने

देते । किसान अपने घर से भी बेघर होकर मण्डी में पड़ा रहता है । बेचारे किसानों को कहीं पर तकावी का पैसा देना है, रैवेन्यू का देना है या डाक्टरों को किसी बीमारी का देना होता है । उसको फसल का समय पर पैसा न मिलने पर बडी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । फिर मजबूरन किसान अपनी फसल को कम भाव पर बेचकर उनाने पर मजबूर हो जाता है । इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि 4–5 जिलों में जहां पर कौटन ज्यादा होती है सरकार खाय ध्यान दे क्योंकि एक तो कौटन को आग लगने का डर बराबर बना रहता है और दूसरे चोरी तो होती ही है । हमारी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कौटन की फिक्स प्राईस है उस को तो शायद नहीं बढ़वा पायेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान को कम से कम जो 410 रुपये का भाव फिक्स है वह अवश्य दिलवाया जाये । अगर फूड कार्पोरेशन गेहूं की फसल की खरीद न करे तो गेहूं की भी यही हालत हो सकती है जो आज के दिन कपास की हो रही है । सी० सी० आई० वाले ही कौटन की खरीद नही कर रहे और वे भी बोली में मिनिमम रेट नही लगाते । वे ही कौटन की कीमतों को बढने मे रोकते हैं । किसान को अपनी कौटन का या दूसरी फसल का उचित मूल्य न मिलने की वजह से ही अपोजीशन पार्टी के लोग आज जगह जगह पर सरकार के खिलाफ रैलियां करके किसानों को भड़का रहे है । जरूरत यह है कि सरकार को कौटन ग्रोअर की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए । जिस प्रकार सरकार फूड ग्रेन की तरफ ध्यान दे रही है उसी प्रकार कौटन ग्रोअर की तरफ भी ध्यान दे । रोटी–कपड़ा

और मकान ये तीन चीजें आज के दिन बहुत जरूरी समझी जाती है । यदि कौटन की कीमत किसान को वाजिब मिलेगी तो इसका उत्पादन और भी बढ़ेगा । क्या सरकार कौटन ग्रोअर के लिए मण्डी में उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और चोरी को रोकने के लिए उचित प्रंबध करेगी दूसरे मैं तो यह भी कहूंगा कि काटन की फसल को किसान के कोठे मे उठाना चाहिए ताकि उसकी चोरी को रोका जा सके । दूसरे मिलों के अन्दर भी इसे सीधे बेचने का प्रबन्ध कर दिया जाये और वहीं से मार्किट फीस वगैरा लेने का प्रबन्ध सरकार कर ले । मंत्री महोदय ने बताया पैं कि एरियल स्प्रे पर तो सबसिडी दी है लेकिन ग्राउंड स्प्रे पर सबसिडी नहीं दी है । मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि हैण्ड पम्प या अन्य जो इक्यूपमैंट्स है, जिनके द्वारा स्प्रे किया जॉता है, उन पर भी किसानों कौं सबसिडी मिलनी चाहिए' । स्पीकर साहब, मेन मुद्दा यही है कि काटन की प्रोडक्शन जो हो रही हूँ उसकी मार्किटिंग का विशेष प्रबन्ध किया जाये क्योंकिं आज कें दिन कौटन ग्रोअर बहुत घाटे में जा रहा है । आज वे दिन कौटन ग्रोअर को बहुत नुकसान हो रहा है और वह बहुत परेशान भी है । इसलिए मैं अन्त में फिर यही कहूंगा कि कौटन ग्रोअर्ज को भी अन्य फसलें उगाने वालो की तरह मार्जिन मिलना चाहिए । इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हु ।

(इस समय कृषि मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) उत्तर देने के लिए खडी हुई ।)

श्री अध्यक्ष : मैडम, आप जरा बैठिए । इसमें दों–तीन बाते सामने आई है । पहले तो यह प्रोसीजर था कि सी० सी० आई० वाले आढतियो की मार्फत उनका एजैन्ट साथ लेकर गांव से जा कर काटन की खरीद कर लाने थे जो अब आपने बन्द कर दी है । इसका जवाब तो आप शायद यह देंगी कि ऐसा करने से मार्किट फीस में खुर्द–बुर्द होगी । गेहूं की खरीद या चने कीं खरीद में तो मार्किट फीस के खुर्द–बुर्द होने की बात समझ आ सकती है लेकिन जिस चीज को सी० सी ० आई० वाले खरीदेंगे उसमें मार्किट फीस के खुर्द–बुर्द होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि जो चीज सी० सी० आई० वाले खरीदेंगे उसमें कोई लुक्का–छुप्पी वाली बात तो होगी नहीं । जितनी खरीद सी० सी० आई० वाले करेंगे, उससे पता लगाया जा सकता है कि इतनी कौटन की खरीद की गई है और इसकी इतनी मार्किट फीस बनती है । अगर पूरी मार्किट फीस नहीं आये तो सी० सी० आई० के रिकार्ड से चौक किया जा सकता है । इसलिए इसमें हेरा–फेरी की कोई बात संभव नही हो सकती । एक तरफ तो सरकार फैमिली प्लानिंग का प्रौपेगैन्डा चला रही हैं कि एक परिवार के दो ही बच्चे हों लेकिन दूसरी तरफ किसान इसी चक्र में लगा रहता है कि जो फसल उसने बीजी है उस फसल को कैसे बेचा जाये । तीसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में मैं तीन–चार जिलों की मण्डियों में हो कर आया हूं । हर जगह जमींदार की यही शिकायत थी कि हमें 20–20 और 25–25 दिनों तक यहीं पर मण्डी में ही अपनी कौटन की फसल को बेचने के

लिए बैठे रहना पड़ता है । इस बात को आप भी मानेंगी कि एक आदमी का इतने दिनों तक मण्डी में रहने और खाने पीने पर 400–400 और 500– 500 रुपया खर्च आ जाता होगा । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पास्ट प्रोसीजर है वह आपको भले ही यह लगता हो कि सैट परसैंट फेल हो गया है लेकिन वास्तव में यह फेल हुआ नही है । आढ़ती भी यही कहते है कि मार्किट फीस में कोई गड़बड़ नहीं थी । कपास सी ० सी० आई० ने खरीदनी है और आपके पास चार्ट होगा कि इतनी कपास बिकी है । अगर कोई गड़बड़ करेगा तो पता लगा जाएगा । इसके अलावा, मैडम, दीदा–दानिश्ता 10– 10,12– 12 दिन तोलाई नहीं होती । आपका सैक्रेटरी मार्किट कमेटी के औफिस में अवेलेबल नहीं होता जो उनको परसुएड करके तोलाई करवा सके । जब माल नीलाम हो चुका हो तो उसे तोला क्यों न जाए? इन सारी बातों का आप जवाब दीजिए ।

कृषि मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : स्पीकर साहब, कई माननीय सदस्यों ने कपास के बारे में कल भी और आज भी बड़े विस्तार के साथ जो समस्या है उसे उठाया है । पहली बात तो यह है कि 20– 11– 1986 तक पिछले साल के मुकाबले में मार्किट में 50 परसैटं से ज्यादा कपास आ गई थी । दूसरी बात यह है कि सी० सी० आई० पर हम इसे खरीदने के लिए जोर तो डालते हैं लेकिन चूंकि वह एजैन्सी डारैक्टली हमारे अन्डर नहीं है इसलिए कुछ दिक्कत रहती है । मुख्य मंत्री जी ने भी उन्हें तीन

चार बार टेलिफोन किया है और लैटर्ज भी लिखे हैं । हमारे अधिकारी भी अपने लैवल पर काफी जोर लगाते हैं । फिर भी यदि हम दूसरी स्टेट्स से यानि पंजाब से या राजस्थान से मुकाबला करें तो सी० सी० आई० ने हमारे यहां से ज्यादा कपास खरीदी है । 28– 11– 1986 तक 13,22,000 क्विटल कपास मार्किट के अन्दर आई है जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 1 2,79,000 क्विंटल कपास मार्किट मे आई थी । इममें से 4,62,336 क्विटल कपास सी० सी०आई० ने ली है जबकि पिछले साल केवल 1,51, 476 क्विंटल कपास सी० सी० आई० ने ली थी । बाकी प्राईवेट एन्जैसी ने ली हूं' ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, आप तो सी ० सी० आई० के बारे में बता रही हैं । बात तो हरियाणा गवर्नमैंट की है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : वह भी मैं बता रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, मंडी में माल तो नीलाम हो जाता है लेकिन जो बाद मे 12– 12 दिन लोगों को वहां बैठना पड़ता है, उसका इलाज करना आपकी ड्यूटी है । इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेट की बात नहीं है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जहा तक मंडी कीं बात है, कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां दो चार दिन माल उठाने में लग जाते हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैंने खुद 15– 15 दिन के बाद कपास बेची है । मैंने कोई गलत बात नहीं कही है लेकिन मंत्री जी इस बात को मान ही नहीं रही है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनसे पहले ही कह दिया है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, जिन मंडियों मे माल उठाने में 2–4 दिन का टाईम लग जाता है उनके नाम हैं कलावाली, भूना भट्टू, हिसार, आदमपुर, फतेहाबाद, रतिया, सिरसा, डबवाली और ऐलनाबाद । बाकी सभी मंडियों में 24 घंटे के अन्दर कपास उठ जाती है । स्पीकर साहब, 20 नए परवेज सैन्टर्ज सरकार ने खोले है ताकि लोगों को बहुत दूर न जाना पड़े । घरो से, माल उठाने में यह बात सही है कि मार्किट फीस की चोरी हो, जाती है । तोलाई का जहां तक सम्बन्ध है, हमने अलाउ किया हुआ है कि ट्रौली समेत तोलाई हो जानी चाहिए । इसमें दिक्कत वाली बात नहों है । स्पीकर साहब हमने कोशिश की हँ और कर भी रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो और उनकी ज्यादा से ज्यादा कपास थोड़े टाईम में बिक कर उठ जाए ।

ठाकुर बहादुर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया की तरफ से कोई खास बात नहीं आ रही है । ये तो एक ही बात कह रही हैं कि मार्किट फीस की चोरी होती है । स्पीकर साहब, कपास जिनिंग फैक्टरी में जाती है । जिनिंग फैक्टरीज एक शहर में कितनी हैं यह आप जानते हैं । फिर मंत्री महोदया बार बार कह

रही हैं कि दो चार दिन में कपास उठ जाती है लेकिन यी फैक्ट है कि 15 दिन से पहले सिरसा मंडी में कपास नहीं उठती ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब. माननीय सदस्यो ने जिन समस्याओ का जिक्र किया है उनको, इस सारी इतलाह होने के बाद भी, देखा जाएगा । अगर मुझे खुद भी जाकर देखना पड़ेगा तो मैं देखूंगी और यदि कोई खामी हुई तो उसको दूर करने की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि ये –किसी एक मंडी का नाम बताएं जहां मे 24 घंटों के अन्दर कपास उठ जामी हो और ये स्वयं कितनी मंडियों का दौरा करके आर्ड हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बात पहले हो चुकी है ।

चौधरी लीला कृष्ण : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि लोगों के घरों से कपास खरीदने की इजाजत दे देंगे । क्या मती जी बताएगी कि वे इंस्ट्रक्शन्ज जारी हो गई हैं या नहीं क्योंकि रतिया और फतेहाबाद में अमी भी लोगों को रोका जा रहा है?

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर साहब. यह सरकार की जिद्द है । सही मायने में पैडी और कौटन में मार्किट फीस की किसी तरह हेरा फेरी होने का चांस नहीं है क्योंकि पैडी की प्रोक्योरमैंट गवर्नमैंट करती है औंर कौटन बेल्ज में जाती है ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी के आदेश के बाद 20 परचेज सैन्टर हमने खोले है । उनके नाम हैं बीघड, मिथला खेडा, बनावाली, डाबडा, कुरडी, डोभी, सोरखी, लतानी प्रभुवाला, पिली मन्दोरी. नागपुर, अमरांवां, गोरखपुर, बोबुआ, बिजूवाली रत्ताखेडा, चिटथा, डिंग मोड़, रसूलपुर और मनी जटान । उम्मीद है 'कि इन सैन्टर्ज के खुलने के बाद अब लोगों को उतनी दिक्कत नही होगी जितनी पहले हुआ करती थी ।

श्री अध्यक्ष : मैडम, उनका सवाल यह है कि जो पास्ट प्रोसीजर था वह आपने अपनाया या नहीं अपनाया ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, ऐसा है कि पार्टी मीटिंग में यह तय हुआ था कि लोगों के घर से कौटन खरीदने की इजाजत दे देंगे । उम्मीद है कि ये इंस्ट्रक्शन्ज जारी हो गई होंगी । अगर नही हुई होंगी तो आज ही जारी हो जाएगी । (तालिया) जहा तक इस बात का सवाल है कि सी० सी० आई० ने कौटन कम उठाया है, यह बात ठीक नही क्योंकि कौटन तो उन्होंने पहले सालों के मुकाबले में तीन चार गुना ज्यादा उठाया है मगर यह बात ठीक है कि किसान को मंडी में 10– 15 दिन इन्तजार करना पड़ता है और वह बहुत परेशान है । मामले को मैं पर्सनली सैन्ट्रल गवर्नमैंट से टेक अप करुंगा ताकि किसान की दिक्कत दूर हो । (तालियां)

संकल्प–

पंजाब में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : अब चीफ मिनिस्टर साहब, आफिशियल रैजोल्यूशन मूव करेंगे ।

Chief Minister(Chaudhri Bansi Lal) : Sir. I move-

That this House strongly condemns the brutal murders of innocent people in Punjab duridg the last three four days. by the extremists and expresses-deep sympathies with the bereaved families.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House strongly condemns the brutal murders of innocent people in Punjab during the last three four days by the extremist.: and expresses deep sympathies with the bereaved families.

Mr. Speaker : Question is

That this House strongly condemns the brutal murders of innocent people in Punjab during the last three four days by the extremists and expresses deep sympathies with the be eaved families.

The motion was carried.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा–

श्री ओम प्रकाश महाजन एम ० एल ० ए ० के त्याग–पत्र की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री ओ ० पी ० महाजन का इस्तीफा मिला है । वे एक ही लफ्ज कह कर चले गए । उप वक्त मैं समझ नहीं पाया । अब यह आप सबके सामने है । चूंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है इसलिए इन बारे में मैं कोई शक नहीं कर सकता । I am accepting it with a heavy heart. रूल्ज में यह लिखा है कि अगर कोई सदस्य हाउस में इस्तीफा देता है तो मुझे डिसिजन आपको फौरन बताना पडता है । उनके इस्तीफे के बारे मे मैं आपको बता रहा हूं और इस इस्तीफे को मंजूर भी कर रहा हूं ।

Now the House stands adjourned sine-die.

12.40 बजे

(The House then *adjourned sine-die).